



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

बजट 2018-2019

श्रीमती वसुन्धरा राजे

मुख्यमंत्री  
का बजट भाषण

12 फरवरी, 2018

फाल्गुन कृष्ण १२, विक्रम संवत् २०७४

# बजट 2018 - 2019

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से, मैं वर्ष 2017-18 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ।

2. आज मुझे 13 दिसंबर 2013 का वह दिन याद आ रहा है, जब हमने जनता के विश्वास का मान रखते हुए बुलंद हौसलों के साथ एक सशक्त और संपन्न राजस्थान बनाने का संकल्प लिया। सरकार ने 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' की भावना से ठोस नीतियां और कार्यक्रम तैयार कर, उन पर अमल किया।

3. 20 दिसंबर 2013 को मैंने राज्य के विकास के लिए VISION-2020 पेश करते हुए 5 priority sectors तय किये : Investment बढ़ाना, बेरोजगारी कम करना, अर्थव्यवस्था एवं शिक्षा में सुधार और कौशल विकास। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इन सभी क्षेत्रों में हमने एक आम राजस्थानी के जीवन को बेहतर बनाया है।

4. हमने बाड़मेर रिफाईनरी के अधूरे सपने को पूरा किया और इस प्रोजेक्ट को re-negotiate कर ₹ 40 हजार करोड़ की बचत की। इस रिफाईनरी के cascading effect से रोजगार के लगभग 1 लाख नये अवसर उपलब्ध होंगे और लोगों की आय बढ़ने से जीवनस्तर सुधरेगा और ancillary industries स्थापित होंगी। आपको यह जानकर खुशी होगी कि जैसलमेर और बाड़मेर को मुंद्रा एवं कांडला बंदरगाह से जोड़ने के लिए एक नयी रेलवे लाईन बिछाये जाने की योजना उच्च स्तर पर विचाराधीन है। यह रेलवे लाईन पश्चिमी राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए वरदान साबित होगी। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में होने वाले विकास से पश्चिमी राजस्थान का कायाकल्प होगा।

5. हमने जयपुर को अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर लाने का संकल्प लिया। जयपुर में Walled City का illumination और night tourism पर्यटकों के मुख्य आकर्षण बन गये हैं। आज झालाना में leopard safari, Museum of Legacy, माधवेन्द्र पैलेस का Sculpture Park और रामनिवास बाग का मसाला चौक जयपुर की शान बन गये हैं। वहीं दूसरी ओर, रामनिवास गार्डन स्थित भूमिगत पार्किंग को दिल्ली जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का underpass बनाये जाने की योजना है। इससे न केवल walled city का traffic congestion दूर होगा बल्कि पुराने जयपुर की रौनक लौट आयेगी। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूँगी कि अमानीशाह नाले का द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट के रूप में transformation-पर्यावरण, पर्यटन एवं नगरीय विकास के क्षेत्र में राज्य को एक model के रूप में स्थापित करेगा।

6. बीकानेर स्थित Rajasthan State Archives अपने एक करोड़ ऐतिहासिक अभिलेखों का digitization कर देश का प्रथम Digital Archives बन गया है। अब हमने 2 करोड़ ऐतिहासिक अभिलेखों के digitization और microfilming करने का लक्ष्य अपने हाथ में लिया है।

7. राजस्थान, आज भामाशाह योजना के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभ सीधे 5 करोड़ 50 लाख लोगों तक पहुँचाने वाला अनुकरणीय उदाहरण बन गया है। हमने देश में प्रथम Skills University की शुरुआत की और 2 लाख से अधिक युवाओं को अलग-अलग व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण दिया। हमारी सरकार ने 13 लाख से

अधिक युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते हुए 1 लाख 50 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी में भी लिया है।

8. आज राजस्थान भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से 4 करोड़ 50 लाख लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध करवा रहा है। स्वास्थ्य पर हो रहे खर्च को कम करने एवं गरीबों को इलाज की आधुनिक सुविधायें देने के लिए इस योजना में 1 हजार 715 बीमारियों को कवर करते हुए 1 हजार 304 hospitals को जोड़ा गया है।

9. GRAM का जयपुर, कोटा व उदयपुर में सफल आयोजन कर हमने 2 लाख किसान भाईयों से सीधा संवाद किया। सहकारी बैंकों के खाताधारियों को अब तक 9 लाख 47 हजार Bhamashah Co-branded Rupay Card जारी करने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है।

10. बेटी बचाओ—बेटी पढ़ाओ के मूल मंत्र पर चलते हुए हमने 'मुख्यमंत्री राजश्री योजना' में 7 लाख 92 हजार से अधिक बेटियों को ₹198 करोड़ का लाभ दिया। 'मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना' में 5 लाख बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया।

11. माननीय अध्यक्ष महोदय, 'विकास एवं सुशासन' मंज़िल नहीं है, बल्कि निरंतर चलने वाली यात्रा है। हमने पिछले चार वर्षों में कई अहम पड़ाव हासिल किये हैं। किसानों की आय बढ़े, कमजोर तबकों का सामाजिक—आर्थिक उत्थान हो, महिलायें शिक्षित—सुरक्षित हों, नौजवानों को काम मिले : ऐसे खुशहाल राजस्थान का सपना साकार होने तक—हम न रुकेंगे और न थकेंगे।

12. हमारा यह बजट VISION-2020 से तय किये गये priority sectors में resources के यथोचित उपयोग का blueprint है। यह बजट राज्य के सम्मुख शेष रही चुनौतियों को विकास के अवसरों में बदलने की दिशा में एक प्रयास है।

#### सड़क एवं परिवहन :

13. आज देशभर में राजस्थान अपनी गुणवत्तापूर्ण सड़कों से जाना जाता है। गत 4 वर्षों में हमने 49 हजार 878 किलोमीटर सड़कों के construction, upgradation और renewal का महत्वाकांक्षी कार्य पूरा किया। सरकार के द्वारा एक ओर जहां ग्रामीण क्षेत्रों में 21 हजार 614 किलोमीटर नई सड़कें बनायी गयी; वहीं दूसरी ओर, 28 हजार 264 किलोमीटर में National एवं State Highways, MDRs, ODRs और ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाया।

14. सरकार ने गाँवों में आवागमन की सुविधा एवं कीचड़ से मुक्ति के लिए नाली सहित सीमेंट व कंकरीट की मजबूत सड़कों का निर्माण किया। ग्रामीण गौरव पथ कहे जाने वाली ये सड़कें आज गाँव का गौरव है। हमने राज्य की कुल 9 हजार 891 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से 6 हजार 593 को ग्रामीण गौरव पथ योजना एवं 2 हजार 21 को मिसिंग लिंक योजना से जोड़ा है। हमारी सरकार शेष रहे ग्राम पंचायत मुख्यालयों को वर्ष 2018-19 में ग्रामीण गौरव पथ अथवा मिसिंग लिंक सड़कों से जोड़ने की घोषणा करती है। इन कार्यों पर ₹ 766 करोड़ की लागत आना संभावित है।

15. राज्य की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में 15 किलोमीटर प्रति विधानसभा क्षेत्र नवीन सड़कों का निर्माण करवाये जाने की घोषणा करती हूँ।

16. नाबार्ड योजना के तहत इस वर्ष ₹ 800 करोड़ की लागत से 5 हजार 336 किलोमीटर के 1 हजार 614 कार्य चालू किये गये हैं। अगले वर्ष में RIDF-24 के तहत ₹ 800 करोड़ की लागत से 5 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के upgradation और renewal के नये कार्य हाथ में लिये जा रहे हैं।

17. ADB Tranche-I में ₹ 2 हजार 452 करोड़ की लागत के 980 किलोमीटर के सड़क निर्माण कार्य शुरू कर कोटा, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, हनुमानगढ़, चूरु, बीकानेर, नागौर, जयपुर, अजमेर, सीकर और झुंझुनू जिलों को लाभान्वित किया जा रहा है। आगामी वर्ष में, ADB एवं विश्व बैंक से ऋण प्राप्त कर ₹ 2 हजार 274 करोड़ की लागत से 882 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य जोधपुर, नागौर और पाली जिलों में किया जायेगा।

18. 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के प्रथम फेज़ के अंतिम चरण में 1 हजार 393 बसावटों को अब तक नवीन सड़कों से जोड़ने का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस योजना के द्वितीय चरण में 3 हजार 464 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के upgradation और maintenance के कार्य ₹ 1 हजार 622 करोड़ की लागत से किये जा रहे हैं।

19. पिछले वर्ष की बजट घोषणा के अनुरूप NCRPB से ऋण प्राप्त कर अलवर जिले में ₹ 932 करोड़ की लागत से 629 किलोमीटर लंबाई की 38 सड़कों के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

20. झालावाड़ जिले में ₹ 15 करोड़ 44 लाख की लागत से सारोला बाईपास का निर्माण करवाया जायेगा। सुसनेर—सुवांसरा सड़क

निर्माण के लिए ₹ 32 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। नेवच नदी पर विंटेज कॉजवे निर्माण सहित चुरेलिया से सन्याघाट तक 4.5 किमी सड़क निर्माण पर ₹ 9 करोड़ 93 लाख का व्यय किया जायेगा। बारां जिले में रामगढ़ माताजी के परिक्रमा पथ को चौड़ा करने के लिए ₹ 10 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

21. रामदेवरा भजन गायक रिखियों की ढाणी को रामदेवरा से जोड़ने के लिए 17 किलोमीटर की सड़क बनायी जायेगी। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से सार्दुलशहर मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क का पुनर्निर्माण करवाया जायेगा।

22. आमजन की सुविधा के लिये परिवहन कार्यालयों की लाईसेंस एवं वाहन संबंधी सेवाओं के front office counters को, पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर, निजी क्षेत्र के माध्यम से संचालित किया जायेगा। साथ ही, मैं driving licence एवं vehicle registration संबंधी समस्त आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से paper-less किये जाने की घोषणा करती हूँ।

23. मुझे प्रसन्नता है कि अजमेर को छोड़कर शेष 6 संभागीय मुख्यालयों एवं सात अन्य जिलों पाली, दौसा, सीकर, चित्तौड़गढ़, अलवर, झालावाड़ एवं डीडवाना-नागौर में fully automated driving track की निर्माण प्रक्रिया चालू हो गयी है। इसी क्रम में, बाकी रहे जिला परिवहन कार्यालयों में भी इस वर्ष fully automated driving tracks का निर्माण चालू करवाया जायेगा।

24. राज्य में पहली बार कुछ राजमार्गों जैसे फलोदी-जैसलमेर राजमार्ग, धौलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा 3-4 अन्य Highways/Mega



Highways को emergency landing airstrips के रूप में विकसित किया जायेगा। इससे प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, चिकित्सा एवं कानून-व्यवस्था से संबंधित आपदा के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

25. सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मृत्युदर में कमी लाने के लिये capacity building हेतु जयपुर में ₹ 10 करोड़ की लागत से 'राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र' की स्थापना की जायेगी।

26. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में 80 वर्ष से अधिक की आयु के वृद्धजनों को मुफ्त यात्रा सुविधा के साथ ही उनके एक attendant को 50 प्रतिशत की रियायती दर पर यात्रा सुविधा प्रदान करने की घोषणा करती हूँ।

27. वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 92 अधिसूचित bus stands हैं, जिनमें से 30 bus stands पर यात्रियों के लिए toilets की सुविधा नहीं है। इन जगहों पर भी आगामी वर्ष में toilets बनवाया जाना प्रस्तावित है।

**जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र :**

28. राज्य में पिछले 4 वर्षों में 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में नवीन सिंचाई क्षमता का सृजन किया है। लंबे समय से जनता की मांग को देखते हुए मैं ₹ 52 हजार करोड़ लागत की निम्न परियोजनाओं की घोषणा करती हूँ, जिन्हें आवश्यक clearances प्राप्त करने के पश्चात, प्रारंभ किया जायेगा:—

— प्रदेश के 13 जिलों—कोटा, बूँदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, दौसा, बारां एवं

धौलपुर के पेयजल एवं सिंचाई की दीर्घकालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए ₹37 हजार करोड़ की लागत वाली ERCP परियोजना की डीपीआर केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है। परियोजना के तहत मोरेल, पांचना, पार्वती, बीसलपुर, रामगढ़, माशी तथा टोरडी सागर सहित 26 जलाशयों को जोड़ा जाकर इन जलाशयों में भी अधिक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

- बीसलपुर बांध पिछले 16 वर्षों में केवल 4 बार ही पूरा भरा है। इसमें पानी की आवक बढ़ाने के लिए हमने ₹6 हजार करोड़ की लागत वाली ब्राह्मणी-बनास परियोजना तैयार की है। इस परियोजना से जयपुर, अजमेर एवं टोंक जिले लाभान्वित होंगे।
- बांसवाड़ा जिले में अनास बांध निर्मित कर वर्तमान में माही बांध से सिंचित 35 हजार हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवायी जा सकती है। ₹1 हजार करोड़ की लागत वाली इस परियोजना से माही बांध के 7.24 TMC पानी की बचत होगी, जिसे अन्यत्र सिंचाई एवं पेयजल के लिए काम में लिया जायेगा।
- माही बांध से अपर हाईलेवल केनाल निकालकर बांसवाड़ा के सज्जनगढ़, बागीदोरा एवं गांगड़ तलाई के 26 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के सृजन हेतु ₹2 हजार करोड़ की लागत आना संभावित है।
- साबरमती बेसिन के अतिरिक्त जल से जवाई बांध के पुनर्भरण हेतु डीपीआर बनाने का कार्य अप्रैल माह तक पूरा किया जाना संभावित है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹6 हजार करोड़ है।

इसके अतिरिक्त, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए आगामी वर्ष में मैं ₹ 25 हजार 200 करोड़ लागत की निम्न परियोजनाओं की घोषणा करती हूँ:-

- राजस्थान को ताजेवाला हैड पर आवंटित 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का उपयोग उपयुक्त carrier system के अभाव में नहीं हो पा रहा है। पाइपलाइन के माध्यम से इस पानी को लाने की परियोजना की feasibility report की स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग द्वारा हाल ही में जारी की गयी है। झुंझुनू एवं चूरू को लाभान्वित करने वाली इस परियोजना की लागत ₹ 20 हजार करोड़ संभावित है।
- माही बांध के दांयी ओर से 265 किलोमीटर लंबी हाईलेवल केनाल नागलिया पिकअप वियर से होती हुयी वरदा तक बनाकर जाखम बांध के 28 हजार हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी, जिससे जाखम बांध का 5 टीएमसी पानी बचेगा। साथ ही प्रतापगढ़, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलों में लगभग 17 हजार हैक्टेयर नये क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का सृजन होगा। इस परियोजना की संभावित लागत ₹ 2 हजार 200 करोड़ है।
- उदयपुर एवं राजसमंद में दीर्घकालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए जाखम तथा देवास III एवं IV से पानी ले जाये जाने के लिए परियोजना तैयार की जायेगी। उक्त परियोजना की क्रियान्विति से भीम-राजसमंद की पेयजल समस्या का भी निदान होगा। इस योजना की अनुमानित लागत ₹ 3 हजार करोड़ होगी। यह स्पष्ट है कि राजस्थान को सतही जल से पेयजल के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये महत्वाकांक्षी परियोजनायें हैं। इन

परियोजनाओं का वित्त पोषण न केवल स्वयं के संसाधनों से बल्कि भारत सरकार एवं अंतरराष्ट्रीय funding agencies का सहयोग प्राप्त कर ही किया जा सकता है। जिस प्रकार हमने बाड़मेर रिफाईनरी के लिए सफलतापूर्वक negotiate कर राज्य हित में प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है, उसी प्रकार हम इन परियोजनाओं को भी वित्त पोषित करवायेंगे और जमीन पर लाकर रहेंगे।

29. पेयजल की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बत्तीसा नाला परियोजना—सिरोही, ईसरदा बांध परियोजना—टोंक एवं बीलीया परियोजना—जैसलमेर का कार्य आगामी वर्ष में आरंभ किया जायेगा।

30. बारां जिले में हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना का कार्य आगामी वर्ष में चालू किया जायेगा। इस परियोजना से 6 हजार 885 हैक्टेयर क्षेत्र में नवीन सिंचाई सुविधा का सृजन होगा।

31. JICA से पोषित Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project (RWSLIP) में 16 जिलों—अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूँदी, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, झालावाड़, करौली, पाली, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर; World Bank पोषित Rajasthan Agricultural Competitiveness Project (RACP) में 7 जिलों—श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बारां, बूँदी, चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ तथा New Development Bank (NDB) पोषित Rajasthan Water Sector Re-structuring Project for Desert Area (RWSRPD) में IGNP Stage-I क्षेत्र के 3 जिलों—श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर

के सिंचित क्षेत्र को लाभान्वित कर कुल ₹ 1 हजार 658 करोड़ के कार्य आगामी वर्ष में आरंभ किये जायेंगे।

**32.** बहुप्रतीक्षित परवन एवं धौलपुर लिफ्ट परियोजनाओं का कार्य शुरू कर दिया गया है। इनके लिए ₹ 1 हजार करोड़ एवं ₹ 150 करोड़ का प्रावधान आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित है। इसके साथ ही, तकली बांध परियोजना के भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य पूर्ण किया जायेगा जिससे परियोजना का लाभ क्षेत्रवासियों को शीघ्र मिल सके।

**33.** सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के माध्यम से चंबल, बीसलपुर, गंगनहर, भाखड़ा नहर, सिद्धमुख नोहर एवं अमर सिंह sub-branch परियोजनाओं पर आगामी वर्ष में ₹ 220 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।

**34.** अकलेरा—झालावाड़ में मुख्य नाले को पक्का करने के लिए ₹ 10 करोड़, बलिंडा घाट, झालरापाटन—झालावाड़ में कालीसिंध नदी की चौड़ाई बढ़ाने के लिए ₹ 15 करोड़ और आहू—चंवली रिवर लिंक चैनल के निर्माण के लिए ₹ 15 करोड़ तथा ग्राम कटावर—बारां में परवन नदी से सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए ₹ 3 करोड़ का प्रावधान रखा जायेगा। अन्ता—बारां में ₹ 7 करोड़ की लागत से बाढ़ बचाव कार्य करवाये जायेंगे। कड़ीखेड़ी एवं ग्राम देवरीभान—बारां में एनिकटों का ₹ 1 करोड़ 30 लाख की लागत से निर्माण करवाया जायेगा।

**35.** मुख्यमंत्री जलस्वावलंबन अभियान के प्रथम चरण के उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए नगरीय क्षेत्रों में अभियान के द्वितीय चरण में राज्य के समस्त 191 शहर शामिल किये गये हैं, जिसमें 1 हजार 766 कार्यो पर ₹ 120 करोड़ खर्च किये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में

अभियान के दो चरणों की अभूतपूर्व सफलता से प्रेरित होकर तृतीय चरण में 4 हजार 240 गाँवों में 1 लाख 40 हजार कार्य करवाये जायेंगे।

**पेयजल :**

**36.** वित्तीय वर्ष 2014-15 से अब तक राज्य में 36 वृहद् एवं अनेक परियोजनाओं को पूरा कर 16 हजार 439 गाँव-ढाणियों तथा 27 कस्बों को गुणवत्तायुक्त पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित किया गया।

**37.** वर्ष 2014-15 में वैज्ञानिक पद्धति से Rajasthan Drinking Water Grid की स्थापना हेतु घोषणा की गयी थी। सतही जल की प्रत्येक बूंद का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए grid को परिवर्धित कर विभिन्न जल स्रोतों से शुद्ध पेयजल को प्रत्येक पंचायत में उपलब्ध करवाने की कार्ययोजना अंतिम चरण में है। इस दिशा में Regional Water Grid बनाकर, राज्य में पेयजल की उपलब्धता एवं आपूर्ति का दूरगामी समाधान हमारा लक्ष्य है। इस परिकल्पना को साकार करने के लिए मैं निम्न दो वृहद् परियोजनाओं की घोषणा करती हूँ:-

- राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की कमी एक गंभीर समस्या है। दूसरी ओर, माही बजाज सागर में पर्याप्त पानी उपलब्ध है जिससे जयसमंद झील को canal एवं lift के द्वारा भरकर समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की स्थायी व्यवस्था की जा सकती है। दस लाख से अधिक शहरी एवं ग्रामीणजन को लाभ पहुँचाने के लिए Mahi High Level Canal to Jaisamand Drinking Water Project पर ₹450 करोड़ का व्यय होना संभावित है।
- बीसलपुर-जयपुर पेयजल परियोजना फेज़ द्वितीय की घोषणा पूर्व में की जा चुकी है। बीसलपुर बाँध में जल की घटती हुयी

आवक तथा जयपुर शहर की निरंतर बढ़ती पेयजल मांग को देखते हुए, सूरजपुरा WTP में अतिरिक्त जलशोधन क्षमता विकसित कर बालावाला तक 97 किलोमीटर लंबी दूसरी मुख्य पाइपलाइन बिछायी जायेगी। इस परियोजना पर ₹1 हजार करोड़ की लागत संभावित है।

38. ₹2 हजार करोड़ की प्रस्तावित 'परवन-अकावद पेयजल परियोजना' से खानपुर, मनोहरथाना, लाडपुरा, पीपल्दा, सांगोद, अंता, बारां-अटरू, छबड़ा एवं किशनगढ़ क्षेत्र के 1 हजार 821 गाँवों को लाभान्वित किया जायेगा। प्रथम चरण में, परियोजना की डीपीआर सहित बांध निर्माण में हिस्सा राशि का भुगतान तथा इन्टेक वैल का कार्य प्रस्तावित है।

39. डूंगरपुर, आसपुर एवं दोवड़ा वृहद पेयजल परियोजना पर ₹365 करोड़ का व्यय होना संभावित है। आगामी वर्ष में प्रारंभ की जाने वाली इस परियोजना से डूंगरपुर शहर सहित आसपुर एवं दोवड़ा क्षेत्र के 151 गाँव एवं 244 ढाणियों में रहने वाले लगभग 5 लाख 32 हजार लोगों को लाभ मिलेगा।

40. आगामी वर्ष में बूँदी जिले में चालू की जाने वाली गरड़दा वृहद पेयजल परियोजना पर ₹182 करोड़ 86 लाख की लागत संभावित है। योजना से जिले के 111 गाँवों एवं 91 ढाणियों में रहने वाले लगभग 2 लाख 90 हजार की आबादी को लाभ मिलेगा।

41. बूँदी जिले में झालीजी का बराना वृहद पेयजल परियोजना चालू की जायेगी। यह योजना ₹109 करोड़ 29 लाख की लागत से पूर्ण की जायेगी। इस परियोजना से केशवरायपाटन क्षेत्र के 72 गाँवों के 1 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।

42. बारां जिले में ₹ 55 करोड़ 47 लाख की लागत से कछावन पेयजल परियोजना चालू की जायेगी। जिससे छबड़ा क्षेत्र के 16 गाँवों एवं 3 ढाणियों के लगभग 20 हजार लोगों को लाभ मिलेगा। हमने पोकरण – फलसूंड – बालोतरा – सिवाना पेयजल परियोजना के क्रियान्वयन को गति देते हुए सितंबर 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

43. पेयजल समस्या के समाधान हेतु आगामी गर्मियों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार अधिकतम 100 हैंडपंप स्वीकृत किये जायेंगे।

44. मैंने पूर्व में आमजन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए RO Plants की स्थापना की घोषणा की थी। इसी क्रम में, जल गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 500 नये RO Plants लगाये जाने की घोषणा करती हूँ।

**ऊर्जा :**

45. सदन को यह अवगत करवाते हुए मुझे खुशी हो रही है कि Central Board of Irrigation and Power (CBIP) ने वर्ष 2018 में 'राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम' को पिछले तीन वर्षों में किये गये बेहतरीन कार्यों के लिए देश के 'सर्वश्रेष्ठ कार्यरत पॉवर ट्रांसमिशन यूटिलिटी' के रूप में पुरस्कृत किया है।

46. पिछले चार वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता में लगभग 6 हजार 700 मेगावाट की वृद्धि हुयी है। साथ ही, अक्षय ऊर्जा स्रोतों से इस अवधि में 3 हजार 161 मेगावाट उत्पादन क्षमता विकसित की गयी है। विद्युत उत्पादन निगम के संयंत्रों की कार्यकुशलता बढ़ने से प्रति



यूनिट विद्युत उत्पादन में कोयले की खपत में कमी आयी है। Coal Swapping के कारण कोयले के परिवहन खर्च में प्रतिवर्ष ₹ 55 से 60 करोड़ की बचत हुयी है। विद्युत उत्पादन निगम जो कि वर्ष 2014–15 में ₹ 2 हजार 600 करोड़ से अधिक के घाटे में था, हमारे अथक प्रयासों से अब दिसंबर 2017 तक ₹ 400 करोड़ के मुनाफे में आ गया है। राज्य में प्रसारण तंत्र के विस्तार हेतु 765 केवी के दो, 400 केवी के छः, 220 केवी के 30 तथा 132 केवी के 70 ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित किये गये हैं।

47. पिछले चार वर्षों में 33 केवी के 936 सब-स्टेशन स्थापित किये गये एवं 1 लाख 77 हजार कृषि कनेक्शन तथा 24 लाख से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किये गये हैं।

48. प्रसारण एवं वितरण तंत्र के विकास हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में 400 केवी का एक, 132 केवी के 15 तथा 33 केवी के 200 नये सब-स्टेशन का लोकार्पण किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) तथा शहरी क्षेत्रों में Integrated Power Development Scheme (IPDS) के तहत ₹ 5 हजार 561 करोड़ के काम किये जा रहे हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत अब तक 9 लाख 62 हजार घरेलू कनेक्शन दिये जा चुके हैं। इस क्रम में आगामी वर्ष में 7 लाख नये घरेलू विद्युत कनेक्शन देने की घोषणा करती हूँ।

49. विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए 24 नये खण्ड एवं 93 उपखण्ड कार्यालय खोले जाकर विद्युत वितरण कंपनियों के संगठनात्मक ढांचे में सुधार किया जा रहा है।

50. मैं किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, जनवरी 2012 तक लंबित 2 लाख कृषि कनेक्शन आगामी वर्ष में दिये जाने की घोषणा करती हूँ।

कृषि, कृषक एवं पशुपालक कल्याण :

51. लघु एवं सीमांत कृषक, समाज के सबसे vulnerable वर्गों में से एक है। हमने **overdue** अल्पकालीन फसली ऋण माफी का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मैं लघु एवं सीमांत कृषकों के सहकारी बैंकों में 30 सितंबर 2017 को **overdue** ऋण में समस्त शास्तियों एवं ब्याज माफी की घोषणा करती हूँ। इससे ये कृषक overdue से outstanding की श्रेणी में आ जायेंगे।

52. इसी कड़ी में, इनको शामिल करते हुए सहकारी बैंकों के लघु एवं सीमांत कृषकों के 30 सितंबर 2017 तक **outstanding** अल्पकालीन फसली ऋण में से ₹ 50 हजार तक के कर्जों की एकबारीय माफी की घोषणा करती हूँ। इसके क्रियान्वयन से राज्य सरकार पर लगभग ₹ 8 हजार करोड़ का वित्तीय भार पड़ेगा।

53. इसके अलावा, मैं 'राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग' के गठन की घोषणा करती हूँ, जो कि एक permanent institution के रूप में कार्य करेगा। कृषक इस आयोग के सामने अपना पक्ष रखकर merit के आधार पर राहत प्राप्त कर सकेंगे।

54. वर्ष 2018-19 में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण हेतु ₹ 384 करोड़ ब्याज अनुदान एवं ₹ 160 करोड़ क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

55. किसान भाईयों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले, इसके लिए इस वर्ष अभी तक ₹ 2 हजार 814 करोड़ से 5 लाख 51 हजार मैट्रिक टन मूँग, उड़द, मूँगफली एवं सोयाबीन की समर्थन

मूल्य पर खरीद की जा चुकी है। इससे 2 लाख 93 हजार किसान लाभान्वित हुये हैं। इसी कड़ी में, मैं राजफैड को मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत सरसों और चने की उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने हेतु ₹500 करोड़ का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा करती हूँ। सरकार द्वारा इस खरीद पर राजफैड को खरीद अवधि के दौरान देय मंडी शुल्क में छूट उपलब्ध करवायी जायेगी।

56. समर्थन मूल्य पर किसानों से की गयी खरीद के भंडारण हेतु गोदामों की कमी महसूस की जा रही है। अतः राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम द्वारा ₹350 करोड़ की लागत से 5 लाख मैट्रिक टन भंडारण क्षमता के गोदामों का निर्माण करवाया जायेगा।

57. वर्षाजल के संरक्षण एवं कुशल उपयोग के लिए Farm Pond कार्यक्रम में समस्त श्रेणी के कृषकों को **Farm Pond** निर्माण पर पूर्व में देय लागत के 50 प्रतिशत अनुदान को बढ़ाकर 60 प्रतिशत किये जाने की घोषणा करती हूँ। किसानों को देय 10 प्रतिशत top-up अनुदान हेतु राज्यमद में ₹14 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

58. कुओं एवं नलकूपों से सिंचाई जल का उपयोग करने के लिए जल हौज का निर्माण किसानों में बेहद लोकप्रिय है। किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए मैं जल हौज निर्माण पर वर्तमान में देय 50 प्रतिशत अनुदान पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत top-up अनुदान देते हुए अधिकतम अनुदान की सीमा को ₹75 हजार से बढ़ाकर ₹90 हजार किये जाने की घोषणा करती हूँ। इस हेतु राज्यमद में ₹5 करोड़ 40 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

59. जल के समुचित उपयोग एवं सिंचित क्षेत्र की वृद्धि हेतु नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण पर लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹ 2 लाख का अनुदान देय है। किसानों की मांग को देखते हुए मैं डिग्गी निर्माण पर 25 प्रतिशत **top-up** अनुदान देते हुए अधिकतम ₹ 3 लाख तक अनुदान दिये जाने की घोषणा करती हूँ। इसके लिए राज्यमद में ₹ 90 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

60. GRAM के दौरान ग्रीन हाऊस व शेडनेट हाऊस तकनीकों के live demonstration से किसानों का इनके प्रति रुझान बढ़ा है। इनकी स्थापना हेतु लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को राज्य द्वारा 20 प्रतिशत top-up subsidy दी जाकर 70 प्रतिशत अनुदान देय है। कृषकों की मांग को देखते हुए आगामी वर्ष में 2 हजार वर्ग मीटर तक के ग्रीन हाऊस व शेडनेट की स्थापना पर लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹ 10 लाख प्रति इकाई अनुदान राज्यमद से दिये जाने हेतु ₹ 32 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

61. भारत सरकार द्वारा 3 एवं 5 HP के सौर ऊर्जा पंप संयंत्रों पर क्रमशः 25 एवं 20 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा दोनों श्रेणियों में कृषि विद्युत कनेक्शन विहीन किसानों को 30 प्रतिशत तथा सौर ऊर्जा पंप के लिए कृषि विद्युत कनेक्शन आवेदन को समर्पित करने वाले किसानों को 45 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। मैं, राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में देय अनुदान को बढ़ाकर 3 HP के लिए 35 एवं 5 HP के लिए 40 प्रतिशत अर्थात् दोनों ही श्रेणियों में कुल अनुदान को 60 प्रतिशत करने की घोषणा करती हूँ। योजना में कृषि विद्युत कनेक्शन आवेदन को समर्पित करने पर पहले की

तरह 15 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा। इसके लिए ₹ 165 करोड़ का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

62. किसानों को माँग अनुसार उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख 75 हजार मैट्रिक टन यूरिया तथा 50 हजार मैट्रिक टन DAP के अग्रिम भंडारण की व्यवस्था पर ₹ 40 करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

63. राज्य में ऐसे जिले जहां वर्तमान में कृषि कॉलेज प्रावधित नहीं हैं, वहां निजी क्षेत्र द्वारा कृषि कॉलेज की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहित किया जायेगा।

64. विज्ञान एवं तकनीक के प्रयोग के कारण कृषि संबंधी कार्यों में नंदी (नर गौवंश) की उपयोगिता कम होने से कृषकों द्वारा इनको असहाय छोड़ दिया जाता है। इन निराश्रित गौवंश की देखभाल के लिए प्रत्येक जिले में एक नंदी गौशाला को गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि से ₹ 50 लाख तक का अनुदान दिये जाने की घोषणा करती हूँ।

65. गौसंरक्षण एवं संवर्धन हेतु संचालित गौशालाओं को चारा पशुआहार के लिए वर्तमान में 90 दिन (तीन माह) की सहायता को बढ़ाकर 180 दिन (6 माह) किये जाने की घोषणा करती हूँ।

66. पंजीकृत गौशालाओं में आधारभूत संरचना के विकास हेतु गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि से आगामी वर्ष में ₹ 50 करोड़ खर्च कर गौआवास शैड, पानी का टांका, चारा भंडार गृह आदि का निर्माण किया जायेगा।

67. राज्य में स्वयं की 25 बीघा या अधिक भूमि पर संचालित की जाने वाली 25 गौशालाओं में 100 घन मीटर या अधिक क्षमता के

**Bio Gas Plant** लगाने के लिए गोपालन विभाग द्वारा प्रति गौशाला लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹40 लाख तक का अनुदान दिये जाने की घोषणा करती हूँ।

68. राज्य में ऊँटों के सरंक्षण तथा ऊँटपालकों की आय में वृद्धि हेतु ऊँटनी के दूध का प्रसंस्करण एवं विपणन करने के लिए जयपुर में एक **mini plant** स्थापित किया जायेगा। RCDF के माध्यम से pilot basis पर स्थापित किये जाने वाले प्लांट की लागत ₹5 करोड़ आयेगी।

**महिला एवं बाल विकास :**

69. मैं सदन को अवगत करवाना चाहूँगी कि भारत सरकार द्वारा राज्य को बाल लिंगानुपात सुधारने पर वर्ष 2017 में 'नारी शक्ति पुरस्कार' दिया गया है। इसी वर्ष बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए झुंझुनू जिले को सम्मानित किया गया है।

70. हमने वर्ष 2016-17 के बजट में महिला मानदेयकर्मियों का मानदेय बढ़ाया था। महंगाई को ध्यान में रखते हुए मैं महिला मानदेयकर्मियों का मानदेय बढ़ाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ₹4 हजार 730 के स्थान पर ₹6 हजार, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ₹3 हजार 365 के स्थान पर ₹4 हजार 500, सहायिका को ₹2 हजार 565 के स्थान पर ₹3 हजार 500, साथिन को ₹2 हजार 400 के स्थान पर ₹3 हजार 300 एवं आशा सहयोगिनी को ₹1 हजार 850 के स्थान पर ₹2 हजार 500 प्रतिमाह देने की घोषणा करती हूँ। इस बढ़ोतरी से 1 लाख 84 हजार महिला मानदेयकर्मी लाभान्वित होंगी।

71. आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत मानदेयकर्मियों के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा सामूहिक बचत आधारित बीमा योजना का

संचालन वर्ष 2006-07 से किया जा रहा है। इस योजना में राज्य सरकार तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा ₹ 600 एवं अन्य मानदेयकर्मियों द्वारा ₹ 300 वार्षिक प्रीमियम 25:75 के अनुपात में भुगतान किया जाता है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा मानदेयकर्मियों द्वारा देय अंशदान को समाप्त करते हुए, मैं प्रीमियम की शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा करती हूँ। साथ ही, इस बीमा योजना के लाभान्वितों में साथिन को शामिल करते हुए, राज्य सरकार के अंशदान को ₹ 1 करोड़ 45 लाख से बढ़ाकर ₹ 5 करोड़ करने की घोषणा करती हूँ। इस योजना से भविष्य में 1 लाख 84 हजार महिला मानदेयकर्मी लाभान्वित होंगी।

72. राज्य सरकार 15 से 45 आयुवर्ग की ग्रामीण बालिकाओं एवं महिलाओं में Menstrual Hygiene Scheme प्रारंभ करने की घोषणा करती है। योजना में stake holder sensitization के साथ sanitary pads का वितरण किया जायेगा। विद्यालयों/महाविद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्र, उप-स्वास्थ्य केन्द्र, अन्नपूर्णा भंडार के माध्यम से sanitary pads उपलब्ध करवाये जायेंगे। योजना के लिए प्रारंभिक तौर पर ₹ 76 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

73. Nursing Training Teachers (NTT) द्वारा लंबे समय से बाल विकास परियोजनाओं में नियोजित करने की मांग की जा रही है। मैं 1 हजार Nursing Training Teachers की भर्ती की घोषणा करती हूँ।

74. मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना का विस्तार करते हुए दसवीं बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक जिले की merit में आने वाली एक अनाथ

बालिका को स्नातक स्तर तक सहायता प्रदान करने की घोषणा करती हूँ।

75. पंजीकृत महिला दुग्ध समितियों को दूध की गुणवत्ता में सुधार एवं आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए मैं 2 हजार लीटर क्षमता के 750 Bulk Milk Cooler एवं 1 हजार लीटर क्षमता के 250 Bulk Milk Cooler की खरीद पर लागत राशि का 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की घोषणा करती हूँ।

**चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा :**

76. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का सफल क्रियान्वयन कर 16 लाख से अधिक रोगियों के लगभग ₹ 1 हजार करोड़ के claims बीमा कम्पनी को प्रेषित किये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवायें उपलब्ध करवाये जाने हेतु 581 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं wellness centre के रूप में विकसित किया गया है। राज्य में जननी शिशु सुरक्षा योजना के प्रारंभ होने के पश्चात् संस्थागत प्रसव में लगभग 180 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है।

77. बेहतर स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए इस वर्ष मैं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाइयों में Centralized Oxygen Supply की व्यवस्था करवाये जाने की घोषणा करती हूँ। 100 bedded वाली 22 तथा 50 bedded वाली 15 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाइयों में पीपीपी मोड पर यह व्यवस्था संचालित की जायेगी एवं इस पर कुल ₹ 18 करोड़ 57 लाख का व्यय होगा।



78. अग्नि संबंधी दुर्घटनाओं से बचाव के लिए प्रदेश के 27 जिला चिकित्सालयों में आधुनिक Fire Fighting एवं Fire Detection System स्थापित किये जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर ₹ 7 करोड़ 29 लाख व्यय किये जायेंगे।

79. प्रदेश के 27 जिला चिकित्सालयों में प्रतिमाह लगभग 35 से 40 हजार यूनिट विद्युत की खपत प्रति चिकित्सालय होती है। इस विद्युत व्यय भार को कम करने के लिए जिला चिकित्सालयों में roof top solar विद्युत संयंत्रों की स्थापना resco model से किया जाना प्रस्तावित है।

80. सैटेलाइट चिकित्सालय, शाहपुरा-भीलवाड़ा में beds की संख्या 75 से बढ़ाकर 100 किये जाने की घोषणा करती हूँ। इस क्षमता वृद्धि पर ₹ 1 करोड़ 45 लाख वार्षिक व्यय होगा।

81. जिला चिकित्सालय धौलपुर के नवीन भवन एवं क्वार्टर्स के निर्माण हेतु गत वर्ष ₹ 100 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसी क्रम में, क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए मैं अब धौलपुर में नवीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा करती हूँ।

82. राज्य में ऐसे जिले जहां वर्तमान में मेडिकल कॉलेज प्रावधित नहीं हैं, वहां निजी क्षेत्र द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहित किया जायेगा।

83. प्रदेश में 28 नवीन PHC खोली जायेंगी तथा 16 PHCs को CHC में क्रमोन्नत किया जायेगा। इस पर ₹ 120 करोड़ की लागत आयेगी।

84. बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 4 हजार 514 नर्स ग्रेड-II तथा 5 हजार 558 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती किये जाने की घोषणा करती हूँ।

85. RUHS Medical College, Jaipur से संबद्ध जयपुरिया अस्पताल में स्वाइन फ्लू व VDRL Lab की स्थापना पर ₹1 करोड़ 50 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित करती हूँ।

86. SMS Hospital के विकास के लिए इस वर्ष हाल ही में विभिन्न कार्यों पर लगभग ₹25 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं। SMS Hospital को Trauma Centre से जोड़ने के लिए बनाये जा रहे under pass से रोगियों को काफी सुविधा होगी। इस क्रम में SMS Hospital से संबद्ध चिकित्सालयों में बढ़ते रोगीभार को देखते हुए ₹6 करोड़ के व्यय से एक नवीन कैथ लैब स्थापना की घोषणा करती हूँ। साथ ही, दो नये examination hall का निर्माण ₹7 करोड़ 90 लाख की लागत से करवाया जायेगा।

87. मेडिकल कॉलेज बीकानेर में बढ़ते रोगीभार को देखते हुए ₹6 करोड़ के व्यय से एक नवीन कैथ लैब स्थापना की घोषणा करती हूँ।

88. ₹6 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज, अजमेर में एक नवीन कैथ लैब की स्थापना की घोषणा करती हूँ। साथ ही, cardiology विभाग में Angiojet Thrombectomy System की स्थापना पर ₹1 करोड़ 15 लाख खर्च किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, शिशुरोग विभाग में ₹1 करोड़ 20 लाख की लागत से 8 ventilators की स्थापना की जायेगी।

89. जोधपुर मेडिकल कॉलेज में ambulance and equipments के लिए ₹ 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है ।

90. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में Anesthesia विभाग हेतु स्वाईन फ्लू के रोगियों के लिए ICU Ventilator एवं Nephrology Department में 4 नवीन Dialysis Machines की स्थापना किये जाने की घोषणा करती हूँ जिस पर ₹ 1 करोड़ 10 लाख का व्यय प्रस्तावित है ।

91. मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ के ENT विभाग हेतु उपकरणों की खरीद करने एवं 7 नये Pediatric and Neonatal Ventilators की स्थापना की घोषणा करती हूँ। इस पर ₹ 1 करोड़ 96 लाख का व्यय किया जाना प्रस्तावित है ।

92. मेडिकल कॉलेज, कोटा में Dual Imaging System, Blood Component Separation Unit, C-arm Machine उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूँ, जिस पर ₹ 3 करोड़ 72 लाख का व्यय किया जाना प्रस्तावित है ।

93. प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा को प्रोत्साहन देने के लिए मैं मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर में निम्न पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ:-

- नर्सिंग कर्मियों की उपलब्धता हेतु 20 सीटों वाला बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम ।
- आयुर्वेद की शल्यतंत्र चिकित्सा विधा के विस्तार हेतु 30 सीटों वाला एक वर्षीय PG diploma course in क्षारसूत्र ।
- पंचकर्म चिकित्सा विधा को प्रोत्साहन के लिए 30 सीटों वाला एक वर्षीय पंचकर्म तकनीकी सहायक diploma course

- महाविद्यालय के 'रोग निदान' एवं 'प्रसूति-स्त्री रोग' विभागों की UG से PG में क्रमोन्नति।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले :

94. अन्नपूर्णा योजना में राज्य के सभी जिलों में 6 हजार 165 अन्नपूर्णा भंडारों के माध्यम से दैनिक उपभोग की 150 वस्तुयें competitive rates पर उपलब्ध करवायी जा रही हैं। योजना की लोकप्रियता को देखते हुए मैं आगामी वर्ष में 1 हजार नवीन अन्नपूर्णा भंडार उचित मूल्य दुकानों पर खोलने की घोषणा करती हूँ।

95. उचित मूल्य की दुकानें संचालित करने वाले राशन डीलर्स को गेहूँ वितरण के लिए देय **dealers commission** को ₹70 से बढ़ाकर, POS मशीन पर प्रति क्विंटल देय ₹17 सहित ₹125 प्रति क्विंटल करने की घोषणा करती हूँ।

96. निम्न श्रेणियों को NFSA की समावेशन सूची में पात्र होने पर खाद्य सुरक्षा कवर में शामिल किया जायेगा:—

- (1) निसंतान वृद्ध दंपति;
- (2) वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान है;
- (3) एड्स रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार;
- (4) सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार;
- (5) बहुविकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति (21 श्रेणियां);
- (6) पालनहार योजना के लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार; एवं
- (7) डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत पीड़ित महिलायें।

**शिक्षा :**

97. हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कई structural improvements एवं innovations किये हैं। इस अवधि में ग्राम पंचायतों के 5 हजार 863 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है। राजकीय विद्यालयों में नामांकन में लगभग 12 लाख की वृद्धि हुयी है। पहले जहां केवल 48.9 प्रतिशत विद्यार्थी माध्यमिक से उच्च माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश करते थे, वहीं आज 74 प्रतिशत विद्यार्थी उच्च माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश ले रहे हैं।

98. हमने वर्ष 2015–16 के बजट में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में वर्ष 2017–18 में प्रथम चरण में 825 आदर्श विद्यालयों हेतु 2 हजार 475 additional class rooms के लिए ₹248 करोड़ 74 लाख की राशि उपलब्ध करवायी गयी है। वर्ष 2018–19 में द्वितीय चरण में 1 हजार 163 आदर्श विद्यालयों में 3 हजार 379 class rooms एवं toilets हेतु ₹360 करोड़ की राशि उपलब्ध करवायी जायेगी।

99. आगामी वर्ष में विभिन्न श्रेणी के 1 हजार 832 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा।

100. Mid-day Meal योजना में पहली बार राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को सप्ताह में तीन बार दूध पोषाहार उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूँ। इस योजना का संचालन प्राथमिकता से पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत महिला दुग्ध समितियों के माध्यम से किया जायेगा। योजना पर ₹250 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।

101. मैं यहां माननीय सदन को अवगत कराना चाहूँगी कि हमारे द्वारा विगत चार वर्षों में विभिन्न संवर्गों के कुल 67 हजार 961 शिक्षकों एवं कार्मिकों को नियुक्तियां प्रदान की गयी हैं तथा 1 लाख 9 हजार 622 शिक्षकों एवं कार्मिकों को पदोन्नत किया गया है।

102. आगामी वर्ष में, 54 हजार तृतीय श्रेणी अध्यापक, 9 हजार द्वितीय श्रेणी अध्यापक, 5 हजार व्याख्याता, 4 हजार 500 शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-3, एक हजार 500 संस्कृत शिक्षा अध्यापक, 1 हजार 200 प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय, 1 हजार 200 प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-3 एवं 700 पुस्तकालय अध्यक्ष सहित कुल 77 हजार 100 रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने की घोषणा करती हूँ।

103. प्रदेश में आगामी वर्ष में 17 उपखंड मुख्यालयों अटरू-बारां, चौहटन-बाड़मेर, बिच्छीवाड़ा-डूंगरपुर, रानीवाड़ा-जालौर, बावड़ी, लूणी-जोधपुर, कनवास-कोटा, रायपुर-पाली, मावली-उदयपुर, बसेड़ी-धौलपुर, बासकृपाल नगर (किशनगढ़बास)-अलवर, रेवदर-सिरोही, भादरा-हनुमानगढ़, कामां, नदबई, नगर-भरतपुर तथा डूंगरगढ़-बीकानेर में नये राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही, teaching faculty की कमी की तात्कालिक समस्या को दूर करने के लिए pay minus pension के आधार पर retired faculty की सेवायें ली जा सकेंगी।

104. कोटा मुख्यालय पर नवीन कृषि महाविद्यालय खोलने तथा अलवर जिले के नौगांवा कृषि अनुसंधान केन्द्र के परिसर में कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा करती हूँ।

105. राजकीय कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़, रतनगढ़-चूरू, गुढ़ा गौड़जी (उदयपुरवाटी) झुंझुनू, औसियां-जोधपुर एवं शिवगंज-सिरोही के महाविद्यालयों को PG महाविद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा करती हूँ।

106. हमने इस बजट में 17 उपखण्डों में नवीन कॉलेज खोलने की जो घोषणा की है एवं साथ ही, नवीन कॉलेज भवन निर्माण को MLALAD के तहत अनुमत किया है। मुझे उम्मीद है कि इनके भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार के साथ-साथ, स्थानीय विधायक और दानदाता सामने आयेंगे, जिससे कि ये कॉलेज शीघ्र प्रारंभ हो सकें।

107. राजकीय महाविद्यालयों में 5 वर्षों से अधिक की अवधि से self financing scheme के तहत संचालित UG एवं PG कक्षाओं के कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों के 64 विषयों के पाठ्यक्रमों को state financing में परिवर्तित करने की घोषणा करती हूँ। इस हेतु ₹ 11 करोड़ 41 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

108. 50 राजकीय महाविद्यालयों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा एवं Rajasthan ILD Skills University, Jaipur के माध्यम से उद्यमिता एवं कौशल विकास के पाठ्यक्रम प्रारंभ कर प्रतिवर्ष 12 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा। इसके लिए ₹ 3 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

109. राजकीय महाविद्यालय निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ में विज्ञान विषय, तारानगर-चूरू में इतिहास व समाज शास्त्र विषय एवं

टोडारायसिंह—टोंक में कला संकाय के नये विषय खोलने की घोषणा करती हूँ।

110. अच्छे एवं गुणवत्तापूर्ण fabrication हेतु सुन्दर design, अभिनव सोच का अपना महत्त्व है। ऐसी ही किसी सोच को मूर्त रूप देने के लिए मैं जोधपुर, बीकानेर और झालावाड़ में कुल 6 करोड़ रुपये की लागत से 3 फेबलैब (Fab Lab) की स्थापना की घोषणा करती हूँ। इनकी स्थापना से product prototyping, worker learning तथा product development को प्रोत्साहन मिलेगा।

111. मैं UPSC, RPSC एवं Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार में उपस्थिति हेतु प्रत्याशियों को RSRTC की बस में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने की घोषणा करती हूँ।

112. आगामी वर्ष में समस्त राजकीय महाविद्यालयों में निःशुल्क wi-fi सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा करती हूँ।

113. मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए मैं, आदर्श मदरसा योजना की घोषणा करती हूँ। इसके तहत पंजीकृत 'ए' श्रेणी के 500 मदरसों का चयन कर मदरसों के आधुनिकीकरण पर ₹ 25 करोड़ 18 लाख खर्च किये जायेंगे।

**कौशल, रोजगार एवं युवा :**

114. नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ जनजाति उपयोजना क्षेत्र के युवाओं को देने के लिए मैं 'कौशल प्रशिक्षण योजना' की घोषणा करती हूँ। इसके तहत Entrepreneurship Development के



उद्देश्य से उद्यमिता प्रोत्साहन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का convergence कर ₹ 15 करोड़ खर्च किया जाना प्रस्तावित है।

115. प्रदेश में प्रथम चरण के तहत जयपुर, कोटा, भरतपुर तथा बीकानेर रोजगार कार्यालयों का Model Career Centre के रूप में चयन किया गया था, जिनका कार्य इस वर्ष पूरा कराया जायेगा। शेष रहे 29 जिलों के रोजगार कार्यालयों को Model Career Centre के रूप में परिवर्तित करने के लिए ₹ 45 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

116. महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहल करते हुए 24 राजकीय ITI में महिला विंग खोलकर 4 हजार महिलाओं को 12 व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण हेतु ₹ 23 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

117. पढ़े-लिखे बेरोजगार युवकों को कौशल प्रशिक्षण के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश के राजकीय ITI में संचालित Self Financing Units को नियमित प्रशिक्षण योजना में परिवर्तित कर 22 हजार 500 सीट create की जायेगी। इस पर ₹ 28 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही, प्रदेश में 8 नयी ITIs खोली जायेंगी।

118. सभी जिला मुख्यालयों पर स्थित राजकीय ITI, आयुक्तालय जयपुर एवं निदेशालय जोधपुर में ₹ 22 करोड़ की लागत से Internet आधारित Smart Class Room स्थापित कर इन्हें Digital ITI के रूप में विकसित किया जायेगा। इस सुविधा से छात्रों को any where, any time, any device learning का लाभ मिलेगा। साथ ही, मैं राजकीय ITI को Digital India से जोड़ते हुए परंपरागत परीक्षा प्रणाली के स्थान पर online परीक्षा आयोजित करने की घोषणा करती हूँ।

119. भारत Under-19 Cricket World Cup-2018 का विजेता रहा है। मुझे ही नहीं पूरे प्रदेश को युवा तेज गेंदबाज श्री कमलेश नागरकोटी की इस जीत में अहम भूमिका पर गर्व है। इस Youth Icon के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर हम सब की ओर से बधाई देते हुए, मैं श्री नागरकोटी को ₹ 25 लाख दिये जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही, राज्य के प्रतिभावान युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए Youth Icon Scheme की घोषणा करती हूँ।

120. झुंझुनू में राज्य क्रीडा संस्थान की स्थापना से खेल प्रशिक्षण, खेल विज्ञान संबंधी पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकों हेतु कोर्स, प्रशिक्षण शिविर, प्रतिभा खोज एवं विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा। राज्य क्रीडा संस्थान में समस्त outdoor व indoor आधारभूत खेल सुविधाओं के विकास पर चरणबद्ध रूप से ₹ 31 करोड़ का व्यय किया जायेगा।

121. जगतपुरा, जयपुर स्थित शूटिंग रेंज को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाये जाने के लिए electronic targets क्रय करने के लिए राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा ₹ 5 करोड़ खर्च किये जायेंगे।

122. सवाईमानसिंह स्टेडियम जयपुर के लिए वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा में 10 करोड़ रुपये की लागत से खेल-भवन के निर्माण की घोषणा की गई थी। इस निर्माणाधीन खेल-भवन की साज-सज्जा (furnishing) हेतु इस बजट में 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। SMS indoor stadium के upgradation के लिए ₹ 2 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। SMS Swimming Pool को Olympic Size Pool बनाये जाने के लिए ₹ 1 करोड़ 50 लाख उपलब्ध करवाये जायेंगे।

123. रतनगढ़-चूरु में indoor stadium एवं राजकीय गजानन्द मोदी उच्च माध्यमिक विद्यालय, नीमकाथाना-सीकर में Stadium बनवाना प्रस्तावित है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग कल्याण :

124. 'राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम' द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु वर्ष 1980-81 से ऋण दिया जा रहा है। मैं ऐसे ऋणियों के ₹2 लाख तक के बकाया ऋण एवं ब्याज को माफ किये जाने की घोषणा करती हूँ। इससे राज्य सरकार पर ₹114 करोड़ का भार आयेगा।

125. इसके साथ-साथ लगभग ₹80 करोड़ की लागत से प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में एक-एक अंबेडकर भवन बनाये जाने की घोषणा करती हूँ।

126. राज्य सरकार छोटे कामगारों जैसे कि केश कलाकार, कुम्हार, मोची, बढ़ई, रिक्शावाला और plumbers आदि के कौशल उन्नयन एवं क्षमतावर्धन के लिए राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा ₹2 लाख का ब्याजमुक्त ऋण दिये जाने की घोषणा करती हूँ। इस योजना में ब्याज अनुदान के लिए ₹10 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

127. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के परिवारों को जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध

करवाने के लिए मैं हमारे कद्दावर नेता एवं प्रेरणापुंज श्री भैरोंसिंह शेखावत जी की स्मृति में 'भैरोंसिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना' लागू करने की घोषणा करती हूँ। इस योजना मे आगामी वर्ष में 50 हजार परिवारों को ₹ 50 हजार तक का ऋण 4 प्रतिशत ब्याज पर बिना रहन उपलब्ध करवाया जायेगा।

128. मैं जनजाति उपयोजना क्षेत्र के ऐसे 1 लाख 70 हजार 660 किसान, जिनके घरों पर विद्युत कनेक्शन नहीं हैं, उन्हें सोलर लैंप दिये जाने की घोषणा करती हूँ।

129. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जो विशेष सुविधायें सहरिया एवं कथोड़ी जाति के परिवारों को उपलब्ध हैं, वही सुविधायें अब खैरवा जाति के परिवारों को भी उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूँ।

130. जनजाति उपयोजना क्षेत्र के 5 जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही तथा बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों के जनजाति, गैर-जनजाति बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवार के किसानों को खरीफ 2018 में मक्का की अधिसूचित संकर किस्मों के 8 लाख बीज मिनिकिट्स का निःशुल्क वितरण किया जायेगा, जिस पर आगामी वर्ष में ₹ 14 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।

131. हमारी सरकार ने जनजाति क्षेत्र में 520 नवीन माँ-बाड़ी केन्द्र शुरू कर 15 हजार 600 बालक-बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा है तथा 1 हजार 339 माँ-बाड़ी केन्द्रों/डे-केयर सेंटर्स पर गैस कनेक्शन प्रदान किये हैं। माँ-बाड़ी केन्द्रों की सफलता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार 1 हजार नवीन माँ-बाड़ी केन्द्र मय गैस कनेक्शन प्रारंभ

करने की घोषणा करती है। इन नवीन केन्द्रों पर प्रतिवर्ष ₹ 36 करोड़ व्यय कर 30 हजार बच्चों को लाभान्वित किया जायेगा।

**132.** देवनारायण योजना में भर्तृहरि—अलवर एवं आननपुरा—करौली में 2 आवासीय विद्यालयों सहित 10 नवीन आवासीय विद्यालयों का तथा गुड़ामालानी—बाड़मेर में एक छात्रावास का निर्माण करवाये जाने की घोषणा करती हूँ।

**133.** राज्य में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु मैं निम्न घोषणायें करती हूँ:—

- आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य श्रेणी के परिवारों को जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध करवाने के लिए मैं हमारे लोकप्रिय नेता श्री सुन्दर सिंह भण्डारी की याद में 'सुन्दर सिंह भण्डारी EBC स्वरोजगार योजना' लागू करने की घोषणा करती हूँ। इस योजना में आगामी वर्ष में 50 हजार परिवारों को ₹ 50 हजार तक का ऋण 4 प्रतिशत ब्याज पर बिना रहन उपलब्ध करवाया जायेगा।
- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित परिणाम के तहत दसवीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक आये हों, ऐसी कुल 200 छात्राओं को और 12वीं की ऐसी छात्रायें, जिनके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विज्ञान, कला, वाणिज्य परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक आए हों, को वरीयताक्रमानुसार प्रत्येक संवर्ग की 200—200 छात्राओं (कुल 600) को स्कूटी दी जायेगी।
- राज्य सरकार द्वारा संचालित अनुप्रति योजना का लाभ अब आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षा में 85 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर देय होगा।

- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु प्री-मैट्रिक एवं उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पर ₹ 273 करोड़ 50 लाख का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

### सामाजिक सुरक्षा :

134. भामाशाह योजना के माध्यम से हमने महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। अब मैं भामाशाह कार्डधारक NFSA परिवारों के सभी सदस्यों का ₹ 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा करते हुए **भामाशाह सुरक्षा कवच** प्रदान करने की घोषणा करती हूँ। इस योजना से लगभग 4 करोड़ 50 लाख लोगों को फायदा मिलेगा।

135. दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु एक आकस्मिक निधि के रूप में 'दिव्यांग कोष' के गठन की घोषणा करती हूँ। इस निधि से प्रदेश के दिव्यांगजन एवं दिव्यांगों के कल्याण से जुड़ी सरकारी संस्थाओं जैसे विमंदित पुनर्वास गृह को सहायता उपलब्ध करवाने हेतु ₹ 1 करोड़ का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, मैं **adult** होने पर सरकारी अनाथालय को छोड़कर, समाज की मुख्य धारा में प्रवेश करने वाले युवक-युवती को स्वरोजगार हेतु ₹ 1 लाख का अनुदान दिये जाने की घोषणा करती हूँ।

136. प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्राओं के लिए डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा में 100 छात्राओं की क्षमता के एक-एक बहुदेशीय छात्रावास की स्थापना पर ₹ 12 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।

137. गोबिन्द गुरु जनजाति विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा में अध्ययनरत जनजाति छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध

करवाने हेतु पृथक-पृथक दो छात्रावासों का निर्माण करवाया जायेगा। इस पर लगभग ₹ 8 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

**138.** जनजाति क्षेत्र में संचालित 5 खेल छात्रावासों को ₹ 5 करोड़ का व्यय कर sports academy के रूप में upgrade कर एक खेल विशेष के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार किया जायेगा।

**139.** जनजाति क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के विकास हेतु 12 एनिकटों-माण्डवा खापरड़ा, पंचकुंडी, जाफरा-डूंगरपुर, कुंडला, महुडीवाड़ा, सरवटवाला नाला, उमरीवाला नाला और चिरोवाली-बांसवाड़ा, धोलीगार, चूलीकानाका और आकोलाकानाका- उदयपुर, मोटा धामनिया-प्रतापगढ़ का निर्माण एवं जीर्णोद्धार तथा 6 नहरों-मेवाड़ा लघु सिंचाई परियोजना का विस्तार एवं जीर्णोद्धार किये जाने की घोषणा करती हूँ। इस योजना से 2 हजार किसानों की 1 हजार 200 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इन निर्माण कार्यों पर लगभग ₹ 20 करोड़ का व्यय होगा।

**140.** जनजाति क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु 25 नवीन सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति सौर ऊर्जा के माध्यम से किये जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर ₹ 7 करोड़ 50 लाख की लागत आयेगी।

**कर्मचारी कल्याण :**

**141.** महिला कर्मचारियों की लंबे समय से child care leave दिये जाने की मांग रही है। मैं महिला कर्मचारियों को पूरी सेवा अवधि में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल हेतु अधिकतम 2 वर्ष की child care leave का प्रावधान किये जाने की घोषणा करती हूँ।

142. 1 अप्रैल 2018 से सातवें वेतन आयोग की लागू सिफारिशों के तहत दिये जाने वाले arrear की राशि का भुगतान प्रारंभ किया जायेगा।

143. राजकीय भर्तियों में आने वाली रुकावटों को दूर कर समयबद्ध तरीके से भर्तियां पूरी करने के लिए हम committed हैं। शिक्षा विभाग में 77 हजार 100, गृह विभाग में 5 हजार 718, प्रशासनिक सुधार विभाग में 11 हजार 930 एवं स्वास्थ्य विभाग में 6 हजार 571 पदों सहित कुल 1 लाख 8 हजार पदों के लिए दिसंबर 2018 के पहले भर्तियां की जायेंगी। साथ ही, आगामी वर्ष में 75 हजार पदों के लिए नयी विज्ञप्तियां जारी की जायेंगी।

144. राज्य सेवा में बतौर पारिवारिक पेंशनर विधवा महिला की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति पर उसे पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत (Dearness Relief) देय होगी।

145. शासन सचिवालय भवन के मूल स्वरूप को यथावत रखते हुए, Indian Council of Green Building द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप इसे Green Building बनाने हेतु ₹ 5 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।

146. तहसील मुख्यालय पीपाड़ शहर—जोधपुर में नवीन स्वतंत्र उपकोष कार्यालय स्थापित किये जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही, पेंशनरों की सुविधा के लिए नवीन उपकोष (पेंशन), जयपुर के गठन की भी घोषणा करती हूँ।

147. स्पिनफैड की बन्द हुयी इकाइयों के कर्मचारी एवं श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में शेष रहे 950 श्रमिकों एवं 71 कर्मचारियों हेतु ₹ 25 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।



## उद्योग:

148. हमने निवेश के लिए राज्य को Investor friendly destination बनाते हुये ease of doing business पर व्यापक कार्य किया है। विश्व बैंक एवं भारत सरकार के business reform action plan में वर्ष 2015 में राजस्थान देश में 'aspiring leader' एवं वर्ष 2016 में और अच्छा कार्य करते हुए 'leader' श्रेणी में रहा। राज्य में One Stop Clearance System के माध्यम से उद्यम स्थापना एवं संचालन को आसान बनाते हुये, 15 विभागों की 87 सेवायें Single Window Portal पर उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

149. भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषित पानी के treatment एवं re-use के लिए 6 MLD RO Plant का scope और व्यापक करते हुए ₹ 146 करोड़ की एकीकृत कार्ययोजना के तहत भूमिगत pipeline सहित Common Effluent Treatment Plant (CETP) के upgradation के कार्य किये जायेंगे, जिससे जल प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा।

150. दिल्ली-मुंबई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर परियोजना के अंतर्गत खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र में नयी industrial township के लिए अधिग्रहित की गयी भूमि का मुआवजा देने के लिए ₹ 400 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

151. प्रदेश में रोजगार एवं स्वरोजगार सृजन के उद्देश्य से पिछले 4 सालों में ₹ 192 करोड़ 63 लाख की margin money subsidy के रूप में वितरित कर 7 हजार 262 व्यक्तियों को लाभ दिया गया। पिछले तीन सालों में भामाशाह रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 19 हजार 112 व्यक्तियों को ऋण वितरित किया गया।

## खनन :

152. राज्य के बाड़मेर-सांचौर बेसिन में वर्ष 2004 में खनिज तेल की खोज के उपरांत 11 क्षेत्रों में लगभग 1 लाख 60 हजार बैरल खनिज तेल का उत्पादन प्रतिदिन किया जा रहा है। अब तक इस बेसिन में ₹ 43 हजार करोड़ का निवेश कर राज्य को लगभग ₹ 30 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। आगामी वर्षों में ₹ 12 हजार 500 करोड़ के निवेश से खनिज तेल का उत्पादन 2 लाख बैरल प्रतिदिन किये जाने की योजना है।

153. जैसलमेर बेसिन में 23 लाख घन मीटर गैस का उत्पादन प्रतिदिन किया जाकर 270 मेगावाट बिजली बनायी जा रही है। इस बेसिन में 30 लाख घन मीटर गैस की अतिरिक्त उपलब्धता के समुचित उपयोग हेतु feasibility study के बाद आगामी वर्षों में 150 कुएँ खोदे जाने की योजना है।

154. राज्य सरकार के प्रयासों से पेट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य के 7 ब्लॉक बाड़मेर-सांचौर बेसिन में तथा 2 ब्लॉक जैसलमेर बेसिन में चयनित किये हैं। ये ब्लॉक्स नयी Hydrocarbon Exploration Licensing Policy के अंतर्गत आवंटन हेतु प्रक्रियाधीन हैं।

155. Major Minerals लाईम स्टोन, बेस मैटल एवं पोटाश इत्यादि के भंडारों की खोज को गति प्रदान करने के लिए कुल 24 परियोजनाओं में लगभग 20 हजार मीटर drilling कर गहराई पर पाये जाने वाले खनिज भंडारों के आकलन के बाद ई-नीलामी से खनिज राजस्व में बढ़ोतरी की जायेगी।

156. राज्य के खनन प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधायें प्रदान करने के लिए आगामी वर्ष में District Mineral Foundation Trust द्वारा ₹ 1 हजार करोड़ खर्च कर सड़कों का निर्माण, पेयजल सुविधा विस्तार, विद्यालयों में कक्षों का निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढीकरण एवं पर्यावरण सुधार संबंधी कार्य करवाये जायेंगे।

#### ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज :

157. प्रदेश में पहली बार केवल पंचायत राज से संबंधित गतिविधियों के त्वरित निस्तारण के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनकल्याण पंचायत शिविरों का आयोजन किया गया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ग्रामीणों को उनके घरों के पट्टे उपलब्ध करवाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान का आयोजन किया गया जिसमें वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति के 1 लाख 76 हजार, अनुसूचित जनजाति के 83 हजार 600 व्यक्तियों तथा 1 लाख 25 हजार महिलाओं सहित कुल लगभग 8 लाख 50 हजार पट्टे वितरित किये गये।

158. 'स्वच्छ राजस्थान' के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। मेरे द्वारा वर्ष 2014 के बजट सत्र के दौरान मार्च 2018 तक प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त अर्थात् Open Defecation Free (ODF) करने की घोषणा की गयी थी। मुझे सदन को अवगत कराते हुए खुशी हो रही है कि कुल 9 हजार 891 ग्राम पंचायतों में से 9 हजार 127 ग्राम पंचायतें ODF घोषित हो चुकी हैं। राज्य के 6 जिले बीकानेर, अजमेर, चूरू, पाली, झुंझुनू व चित्तौड़गढ़ ODF घोषित हो चुके हैं एवं 18 जिलों में शौचालय निर्माण शत-प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

159. पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के लिए संचालित 'पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना (MPOWER)' की सफलता को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईफैड) ने 14 नये विकास खण्डों में इसका द्वितीय चरण प्रारंभ करने हेतु ₹ 300 करोड़ का ऋण प्रदान करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। कुल ₹ 781 करोड़ की इस योजना के लिए अब केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा।

### शहरी विकास :

160. हमने वर्ष 2017-18 में समस्त नगरपालिका क्षेत्रों में सड़कों एवं नालियों की maintenance एवं renewal के लिए ₹ 1 हजार करोड़ का प्रावधान रखा। इस क्रम को आगे जारी रखते हुए मैं, वर्ष 2018-19 में भी समस्त नगरपालिका क्षेत्रों में सड़कों-नालियों की maintenance एवं renewal सहित अंबेडकर भवनों के निर्माण, बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था, श्मशान एवं कब्रिस्तान के विकास तथा सार्वजनिक शौचालयों के लिए ₹ 1 हजार करोड़ के प्रावधान की घोषणा करती हूँ। इस प्रकार से पहली बार छोटे से लेकर बड़ी नगरपालिकाओं के सड़कों एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के सुदृढीकरण हेतु ₹ 2 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।

161. राज्य के शहरी क्षेत्र के नागरिकों को रियायती दर पर गुणवत्तायुक्त पौष्टिक नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध करवाने के लिए संचालित 'अन्नपूर्णा रसोई योजना' को आम लोगों ने काफी सराहा है। इस योजना हेतु आगामी वर्ष में ₹ 340 करोड़ का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। भोजन उपलब्ध करवाने वाली समस्त 500 vans मार्च 2018 तक क्रियाशील हो जायेंगी।

**162.** आमजन की सुविधा हेतु मैं अन्नपूर्णा रसोई योजना का विस्तार करते हुए प्रत्येक जिला कलक्टर कार्यालय परिसर में ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूँ। इन परिसरों में सस्ती दरों पर नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध करवाने के साथ ही चाय एवं शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध करवाया जायेगा।

**163.** मैं जयपुर शहर में बढ़ते प्रदूषण कम करने के लिए ₹72 करोड़ की लागत से JCTCL द्वारा 40 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाये जाने की घोषणा करती हूँ।

**164.** हमारी पूर्व की घोषणा के क्रम में राज्य के सभी नगरीय निकायों में fire brigade सेवा को सुदृढ़ करने के लिए 91 स्थानों पर fire station बनाये जाने थे। इनमें से 58 स्थानों पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है एवं शेष 33 स्थानों पर भी आगामी 3 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा। साथ ही, 49 बड़े fire tenders शीघ्र ही उपलब्ध करवा दिये जायेंगे।

**165.** चूरु शहर में जौहरी सागर में drainage, बरसात के पानी की निकासी एवं सौंदर्यकरण हेतु ₹5 करोड़ के कार्य करवाये जायेंगे।

**166.** आम जनता एवं पर्यटकों को विश्वस्तरीय स्मार्ट सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट में स्मार्ट कोरिडोर को विकसित करने की घोषणा करती हूँ। इस 30 किलोमीटर लंबाई के कोरिडोर में wi-fi, surveillance camera, sensors इत्यादि की सुविधाओं पर ₹50 करोड़ का व्यय किया जायेगा।

167. कोटा शहर में aerodrome circle पर ट्रेफिक जाम की समस्या के समाधान हेतु flyover के निर्माण पर ₹ 150 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।

168. अभी तक मुख्यमंत्री जन-आवास योजना के अन्तर्गत कुल 67 हजार EWS एवं LIG के आवास निर्मित हो चुके हैं एवं 4 हजार 268 निर्माणाधीन हैं। इसी कड़ी में आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आयवर्ग के लोगों के लिए बीकानेर में ₹ 110 करोड़ की लागत से 2 हजार 500 EWS एवं LIG के फ्लेट्स उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

169. राजस्थान आवासन मंडल द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग एवं अल्प आयवर्ग सहित 'सबके लिए आवास योजना-2022' के तहत जनसहभागिता के माध्यम से प्रदेश भर में लगभग 16 हजार आवासों का निर्माण किया जायेगा।

170. अजमेर पुष्कर के बीच आवागमन की सुविधा एवं दुर्घटनाओं से बचाव हेतु वैकल्पिक tunnel का निर्माण ₹ 55 करोड़ की लागत से नौसर घाटी पर करवाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, ₹ 25 करोड़ की लागत से अजमेर में महर्षि दयानन्द सरस्वती स्मारक एवं संग्रहालय का निर्माण करवाया जायेगा।

171. जैसलमेर जिले के राजस्व ग्राम किशन घाट, अमरसागर, जैसलमेर एवं सड़िया तथा दरबारीका में 4 नयी आवासीय योजनाओं के विकास पर ₹ 51 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।

## राजस्व एवं सैनिक कल्याण :

172. कृषि भूमि के सीमाज्ञान एवं माप के मामलों में ज़रीब से हुई पैमाईश से अधिकतर किसान संतुष्ट नहीं होते हैं। इसके समाधान के लिए 50 मॉडल तहसीलों में आधुनिक तकनीक वाली एक-एक Electronic Total Station/Differential Global Positioning System आधारित मशीनें उपलब्ध करवाने की घोषणा करती हूँ।

173. मैं आगामी वर्ष में 2 हजार पटवारियों की भर्ती करने की घोषणा करती हूँ।

174. राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए अर्थूना-बांसवाड़ा, कानोड़-उदयपुर तथा रायपुर-झालावाड़ में नये तहसील कार्यालय खोलने, उपतहसील डग-झालावाड़ तथा पावटा-जयपुर को तहसील में क्रमोन्नत करने तथा कुड़ी भक्तासनी-जोधपुर एवं खेजरोली-जयपुर में नयी उपतहसील खोलने की घोषणा करती हूँ।

175. वर्तमान में शहीद सैनिकों के आश्रितों को नकद राशि ₹ 20 लाख देने का प्रावधान है जिसे बढ़ाकर, मैं ₹ 25 लाख करने की घोषणा करती हूँ।

176. राज्य में जिन जिला मुख्यालयों पर वर्तमान में शहीद स्मारक नहीं बने हुए हैं उन सभी जिला मुख्यालयों पर मैं प्रत्येक के लिए ₹ 20 लाख की लागत से शहीद स्मारक बनाने की घोषणा करती हूँ।

## गृह:

177. 80 हजार पुलिसकर्मियों को देय मासिक मैस भत्ता बढ़ाते हुए कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल का ₹ 1 हजार 600 से बढ़ाकर

₹ 2 हजार प्रतिमाह तथा सहायक उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक, निरीक्षक का ₹ 1 हजार 750 से बढ़ाकर ₹ 2 हजार करने की घोषणा करती हूँ।

**178.** पुलिस फोर्स को अच्छे वाहन उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध रूप से नाकारा वाहनों का replacement किया जायेगा। इस हेतु आगामी वर्ष में 210 नये वाहनों की खरीद के लिए ₹ 7 करोड़ 10 लाख का व्यय प्रस्तावित है।

**179.** मैंने बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर नयी मेवाड़ भील कोर बटालियन स्थापित करने की घोषणा की थी। इसके लिए 1 हजार 161 कांस्टेबल्स की भर्ती की जायेगी। इस बटालियन की स्थापना पर ₹ 110 करोड़ 73 लाख का व्यय प्रस्तावित है।

**180.** पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण के लिए प्रशासनिक एवं आवासीय भवनों के निर्माण पर समग्र रूप से ₹ 164 करोड़ व्यय किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें 43 नवीन थाना भवन, सातवीं बटालियन RAC भरतपुर में कमांडेंट/डिप्टी कमांडेंट निवास एवं lower subordinate quarter, पुलिस थाना आबू पर्वत-सिरोही में आवासीय क्वार्टर्स इत्यादि के कार्य शामिल है।

**181.** पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण हेतु जयपुर में 'The Sardar Patel Global Centre for Security, Counter Terrorism and Anti-insurgency' की स्थापना केन्द्र सरकार के सहयोग से की जायेगी। इस पर ₹ 91 करोड़ 66 लाख का व्यय प्रस्तावित है।

**विधि एवं न्याय :**

**182.** अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की दृष्टि से विगत 4 वर्षों में हमने 18 अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय,



8 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, 2 विशिष्ट न्यायालय (महिला उत्पीड़न प्रकरण), एक विशेष न्यायालय (POSCO Act), 10 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, 25 विशिष्ट न्यायालय (N.I. Act प्रकरण), 11 पारिवारिक न्यायालय एवं एक वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित किये गये हैं तथा 19 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय क्रमोन्नत किये गये हैं।

**183.** जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर में ₹10 करोड़ 81 लाख की लागत से Alternate Dispute Resolution (ADR) सेंटर का नवीन भवन बनाया जायेगा।

**184.** वर्ष 2018-19 में 35 नवीन न्यायालय खोले जायेंगे। जो निम्नानुसार हैं:-

- 2 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण: भीलवाड़ा एवं बूँदी।
- 9 अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय : केकड़ी, किशनगढ़-अजमेर; बीकानेर, राजगढ़-चूरु, बांड़ीकुई-दौसा, घरसाना-श्रीगंगानगर, सांभरलेक, कोटपुतली-जयपुर एवं परबतसर-नागौर।
- 11 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट : बहरोड़-अलवर, गुड़ामालानी-बाड़मेर; कामां, नगर-भरतपुर; सरदार शहर-चूरु; जयपुर मैट्रो 2, किशनगढ़ रेनवाल-जयपुर; पिलानी-झुंझुनू एवं फलोदी, पीपाड़-जोधपुर।
- 7 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट : सूरतगढ़-श्रीगंगानगर; जयपुर मैट्रो 2, फलोदी-जोधपुर; बाड़मेर, गुड़ामालानी-बाड़मेर एवं नीमकाथाना-सीकर।

- 6 विशिष्ट न्यायालय (N.I. Act प्रकरण) : भीलवाड़ा, जयपुर मैट्रो 3, जोधपुर मैट्रो एवं उदयपुर ।

### पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

**185.** हमारी सरकार ने सफेद महल, वैर किला, डीग किला, गढ़ पैलेस, गागरोन दुर्ग, सांभर स्थित ऐतिहासिक स्थलों, पटवों की हवेली और अनेक स्मारकों व पर्यटन स्थलों के conservation और restoration के कार्य करवाये हैं। इसी कड़ी में आगामी साल में कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, झालावाड़, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, बारां, उदयपुर एवं भरतपुर में स्थित 19 स्मारकों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार कार्यों पर ₹ 33 करोड़ 25 लाख का व्यय प्रस्तावित है।

**186.** राज्य में हमने कृष्णा सर्किट, हैरीटेज सर्किट एवं आध्यात्मिक सर्किट जैसे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से ₹ 400 करोड़ की लागत से पर्यटन स्थलों का विकास किया। इसी कड़ी में, मैं आमेर, जयपुर को Iconic Tourism Destination के रूप में शामिल करवाते हुए, ₹ 20 करोड़ का व्यय कर विकसित किये जाने की घोषणा करती हूँ।

**187.** बांसवाड़ा क्षेत्र को प्रकृति ने पर्याप्त natural beauty प्रदान की है। इस क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर उचित स्थान दिलाने के लिए माही बांध परिक्षेत्र में ₹ 10 करोड़ की लागत से 100 islands क्षेत्र का विकास किया जायेगा।

**188.** रणथम्भौर टाईगर रिजर्व में नवाचार कर उसे देश का महत्वपूर्ण Wild Life Tourism केन्द्र बनाया गया, जिससे ₹ 23 करोड़ की आय होना अपने आप में एक कीर्तिमान है।

189. बूंदी में नये museum की स्थापना सहित प्रदेश के सभी 20 museums का जीर्णोद्धार कर उनमें से 6 का लोकार्पण किया जा चुका है एवं शेष को 15 अगस्त 2018 तक लोकार्पित किया जायेगा।

190. राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों जैसे जयपुर-दिल्ली, जयपुर-आगरा, जयपुर-जोधपुर आदि पर ₹3 करोड़ की लागत से पर्यटकों की सुविधार्थ अंतरराष्ट्रीय मानकों के शौचालय बनाये जायेंगे।

191. राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का विकास करने के लिए ₹2 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

192. जनभावनाओं के अनुरूप हमारी सरकार ने 125 से अधिक मंदिरों एवं तीर्थस्थलों के विकास पर ₹550 करोड़ के कार्य प्रारंभ करवाये। सरकार ने विभिन्न प्रमुख चयनित तीर्थस्थलों के मास्टर प्लान तैयार कर, उनको प्रमुख सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए ₹165 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किये हैं।

193. गत वर्षों में प्रारंभ किये गये मंदिर व धार्मिक स्थलों के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करवाते हुए वर्ष 2018-19 में विजवा माता मंदिर, डूंगरपुर, लोहार्गल तीर्थ, झुंझुनू और मुरली मनोहर मंदिर तथा रघुनाथ मंदिर रतनगढ़, चूरू के विकास हेतु ₹10 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

194. हमारी सरकार ने ₹95 करोड़ की लागत से राजस्थान के लोक देवताओं, महापुरुषों एवं संतो के 30 पैनोरमाओं के निर्माण का कार्य पिछले 4 वर्षों में प्रारंभ किया है। इसी कड़ी में, मैं नये 6 पैनोरमा के

कार्य—अलवर में राजा भर्तृहरि, भीलवाड़ा के मालासेरी में भगवान देवनारायण, राजसमंद में महाराणा कुंभा माल्यावास मदारिया, सीकर में भक्त शिरोमणी करमेती बाई खण्डेला, अजमेर में श्री सैन महाराज, पुष्कर एवं चित्तौड़गढ़ में भगवान श्री परशुराम, मातृकुण्डिया प्रारंभ किये जाने की घोषणा करती हूँ। इसके लिए इस वर्ष ₹ 10 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

**195.** जनजाति स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, मानगढ़धाम के प्रथम चरण को आगे बढ़ाते हुए इसे पूरा करने के लिए इस वर्ष ₹ 7 करोड़ की स्वीकृति की घोषणा करती हूँ।

**196.** लंबे समय से मंदिर माफी से जुड़े हुए विभिन्न विषयों एवं समस्याओं के समाधान हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किये जाने की घोषणा करती हूँ।

#### **वन एवं पर्यावरण :**

**197.** जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण हेतु Project for Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan की घोषणा करती हूँ। राज्य के 17 जिलों में ₹ 151 करोड़ की लागत से 22 हजार 700 हैक्टेयर भूमि में जल संरक्षण एवं वन विकास कार्य करवाये जायेंगे।

**198.** किसानों की आमदनी को दुगुना करने की दिशा में उठाये गये विभिन्न कदमों के तहत हमारी सरकार ने 33 वृक्ष प्रजातियों और 26 प्रकार की लघु वन उपज को transit pass की अनिवार्यता से मुक्त किया। इसके साथ ही आदिवासियों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाने के लिए उदयपुर में लघु वन उपज मंडी की स्थापना की गयी है। इस मंडी

के माध्यम से आदिवासियों की आमदनी में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी है। इस सफलता को देखते हुए मैं कोटड़ा, सलूंबर एवं गोगुन्दा में भी वन उपज मंडी यार्ड खोलने की घोषणा करती हूँ।

199. मैं आगामी वर्ष में Forester के 500 एवं Forest Guard के 2 हजार रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती किये जाने की घोषणा करती हूँ।

200. राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि हमारे औद्योगिक क्षेत्र प्रदूषण-मुक्त हों। औद्योगिक क्षेत्रों में effluent की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 'Pollution Control and Management System' को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा। यह सिस्टम Supervision Control and Data Acquisition (SCADA) तकनीक पर आधारित होगा।

201. औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों से निकलने वाले effluent के उपचार एवं निष्पादन व्यवस्थाओं के स्थायी निदान के लिए मैं यह घोषणा करती हूँ कि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में CETPs के upgradation एवं भविष्य में स्थापित होने वाले CETPs के लिए ₹ 100 करोड़ का एक corpus fund बनाया जायेगा। इसमें राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं RIICO का 50:50 प्रतिशत अंशदान होगा।

202. प्रदेश में वाहनों के धुएं, निर्माण गतिविधियों, औद्योगिकीकरण आदि से बढ़ते वायु प्रदूषण की निरंतर जाँच हेतु 7 जिलों में 10 Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations संचालित हैं। अब मैं, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

द्वारा शेष 26 जिलों में ₹60 करोड़ की लागत से ऐसे Stations की स्थापना की घोषणा करती हूँ।

#### **पत्रकार कल्याण:**

**203.** फोटो जर्नलिस्ट एवं न्यूज कैमरामैन के निजी उपकरणों जैसे Video Camera एवं Still Camera इत्यादि के लिए बीमा योजना लागू की जायेगी।

**204.** ऐसे पत्रकार जिनके पास पूर्व में अपने अथवा परिवार के नाम पर सरकारी योजना में भूखंड अथवा आवास आवंटित नहीं हैं उन्हें राज्य में मकान बनाने के लिए अधिकतम ₹25 लाख तक के आवासीय ऋण लेने पर ब्याज अनुदान दिये जाने से संबंधित योजना बनायी जायेगी।

**205.** असाध्य रोग से ग्रसित होने पर पत्रकारों एवं साहित्यकारों के आश्रितों को भी पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष से ₹1 लाख तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी जायेगी।

#### **सूचना प्रौद्योगिकी :**

**206.** मुझे सदन को यह बताते हुए गर्व है कि राज्य को Bhamashah, RajDharaa, Abhay Centre, BSBY, Big-Data analytics इत्यादि परियोजनाओं को मिले पुरस्कारों के साथ-साथ लगातार दूसरे वर्ष भी 'Best e-Governance State' का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

**207.** भामाशाह के माध्यम से बैंक खातों में हस्तांतरित नकद लाभों का सही फायदा देने के लिए हमने 25 हजार pay points स्थापित

किये थे। अब, ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हम 1 हजार और Bhamashah ATM स्थापित करेंगे।

**208.** विगत वर्ष सरकार ने पंचायत स्तरीय सेवा केन्द्रों पर ई-मित्र सर्विस ATM प्रारंभ किये। इसी कड़ी में, आगामी वर्ष में शहरी क्षेत्रों के लिए 2 हजार 500 ई-मित्र प्लस स्थापित किये जायेंगे।

**209.** 'राजधरा' एकीकृत GIS Platform का लाभ सीधे आमजन तक पहुँचाने के लिए 'राजधरा सिटीजन मोबाईल एप' लाया जायेगा, जिससे tourism calendar, traffic routes-diversion, एवं ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी hand-held devices पर जनसामान्य एवं पर्यटकों को उपलब्ध होगी।

**210.** हमने इस वर्ष ease of doing business के तहत building plan proposal को सफलतापूर्वक IT enabled किया है। अब इसे 3D Building Infrastructure Model (BIM) based किया जाकर 4 Smart Cities –जयपुर, उदयपुर, अजमेर तथा कोटा में लागू किया जायेगा।

## कर प्रस्ताव

211. अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं अपने कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ।

### व्यापारी कल्याण :

212. राज्य सरकार का स्पष्ट मत है कि राजस्व संग्रहण में व्यापारियों/उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः व्यापारियों/उद्यमियों का कल्याण हमारा दायित्व है। इस दिशा में ऐसे व्यापारियों के सुझाव, समस्याओं और शिकायतों के जल्दी निस्तारण, उनके लिये सामाजिक सुरक्षा/बीमा योजनाओं को बनाना और क्रियान्वित करना, संबंधित कानूनों/नियमों में सरलीकरण हेतु सुझाव देने आदि के उद्देश्य से मैं राज्य में “व्यापारी कल्याण बोर्ड” स्थापित करने की घोषणा करती हूँ। इसके लिये राज्य सरकार 10 करोड़ रुपये के initial corpus से “व्यापारी कल्याण निधि” स्थापित करेगी।

### औद्योगिक निवेश हेतु प्रोत्साहन :

213. GST लागू होने के पश्चात् VAT तथा CST आधारित अनुदान अब SGST के आधार पर दिये जायेंगे जो उद्यमियों के बैंक खातों में सीधे transfer किये जायेंगे।

214. मनोरंजन तथा पर्यटन क्षेत्र की ईकाइयों को GST लागू होने से पूर्व प्रोत्साहन के रूप में Entertainment Tax तथा Luxury Tax से



छूट उपलब्ध थी। ऐसे उद्यमों को भी **SGST** आधारित अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

**215.** राजस्थान के मूल निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता प्रदान करने के उद्देश्य से उनके लिये employment subsidy की प्रत्येक श्रेणी में 5000 रुपये की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में most backward area तथा backward areas में स्थापित उद्यमों में राज्य के मूल निवासियों को रोजगार प्रदान करने पर अनुदान की वर्तमान श्रेणीवार सीमा 40000 रुपये तथा 35000 रुपये को बढ़ाकर क्रमशः 45000 रुपये व 40000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

**216.** IT Sector, मनोरंजन तथा पर्यटन क्षेत्र की ईकाइयों की स्थापना के लिये बहुमंजिला व्यावसायिक भवनों में space/floor की खरीद या lease पर देय स्टाम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

**217.** निवेशकों की विभिन्न समस्यायें जैसे Environmental clearance इत्यादि में देरी होने की वजह से RIPS-2010 का operative period दिनांक 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में RIPS-2014 का operative period भी दो वर्ष बढ़ाया जाकर दिनांक 31 मार्च, 2021 तक किया जाना प्रस्तावित है।

**MSME को प्रोत्साहन :**

**218.** राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में MSME ईकाइयों का विशेष योगदान है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैं निम्नानुसार अनुदान और अन्य सुविधाएँ दिये जाने की घोषणा करती हूँ:-

- Investment Subsidy की सीमा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत का प्रस्ताव करती हूँ।
- इस क्षेत्र की Sick Units को राहत देने के लिये **SGST** को 24 किशतों में जमा कराने की सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है।
- इसके साथ ही इन Sick Units को Rehabilitation Package जारी होने की तिथि से आगामी एक वर्ष के लिये **Electricity Duty** में शत-प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

219. MSME क्षेत्र की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दिये जाने की घोषणा करती हूँ :-

- Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) योजना के अंतर्गत भुगतान की गई Guarantee fee को 1 लाख रुपये की सीमा तक पुनर्भरण किया जायेगा।
- मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संस्थान से **Technology acquisition** हेतु भुगतान किये गये शुल्क को 50 प्रतिशत की सीमा तक पुनर्भरण किया जायेगा जो 10 लाख से अधिक नहीं होगा।
- भारत सरकार की **Zero Defect and Zero Effect (ZED)** योजना के अन्तर्गत कम से कम Silver Category प्राप्त करने हेतु स्थापित संयंत्र/परीक्षण उपकरण के खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत पुनर्भरण 5 लाख रुपये की सीमा तक किया जायेगा।
- Energy Audit/Water Audit/Safety Audit के लिये किये गये कुल खर्च का 75 प्रतिशत पुनर्भरण, प्रत्येक के लिये 1 लाख रुपये की सीमा तक किया जायेगा।

- भारत सरकार के MSME मंत्रालय की **Performance & Credit Rating Scheme** के अन्तर्गत कार्य निष्पादन तथा क्रेडिट रेटिंग कराने पर हुए खर्च का 10 हजार रुपये की सीमा के अन्तर्गत 25 प्रतिशत पुनर्भरण किया जायेगा।

कृषि आधारित उद्योग को प्रोत्साहन :

220. कृषि आधारित उद्योगों और सेवाओं को प्रोत्साहन देने के क्रम में ब्याज अनुदान की वर्तमान सीमा रुपये 5 लाख प्रति वर्ष को बढ़ाकर रुपये 7.50 लाख प्रति वर्ष किये जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही महिलाओं, विशेष योग्यजनों, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा 40 वर्ष तक की आयु के राज्य के मूल निवासी उद्यमियों के लिये ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत किये जाने की घोषणा करती हूँ।

221. TSP Area के मूल निवासियों को स्वरोजगार प्रोत्साहन हेतु Agro Processing and Agri Marketing Sector की RIPS-2014 में अधिसूचित manufacturing and processing गतिविधियों के लिये वर्तमान में उपलब्ध incentives के साथ 20 लाख तक के बैंक ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

222. कृषि जिन्सों की primary market के लिये cleaning, trimming, grading आदि गतिविधियों को RIPS-2014 के अन्तर्गत प्रोत्साहन लाभ उपलब्ध है। कृषि जिन्सों की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से supply chain के सभी स्तरों पर इन गतिविधियों के लिये प्रोत्साहन लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।

223. वर्तमान में RIPS-2014 के अन्तर्गत न्यूनतम 5000 MT भण्डारण क्षमता तथा 2.50 करोड़ रुपये के निवेश पर ही non-refrigerated warehouse को लाभ उपलब्ध है। राज्य के किसानों को उत्पादन क्षेत्रों में वैज्ञानिक भण्डारण तथा विपणन सुविधाओं की पहुँच बढ़ाये जाने के लिए प्रोत्साहन की पात्रता हेतु उक्त भण्डारण सीमा को घटाकर 3000 MT तथा निवेश राशि को घटाकर 1.50 करोड़ किये जाने की घोषणा करती हूँ जिससे कि अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सके।

224. भारत सरकार द्वारा घोषित Operation Green के समर्थन में किसानों द्वारा उत्पादित आलू, प्याज तथा टमाटर इत्यादि की फसलों को ताजे रूप में destination तक पहुँचाने के लिये **Reefer Van (Cold chain)** को RIPS-2014 में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

225. राज्य के Most Backward Areas में Agro Processing and Agri Marketing Sector, Bio Technology Sector और IT Sector में 50 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले प्रत्येक sector के first project को RIPS 2014 के अन्तर्गत 5 करोड़ की सीमा तक **Infrastructure Support Subsidy** दिया जाना प्रस्तावित है।

राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग :

226. उपनिवेशन क्षेत्रों के किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों के सभी श्रेणी के आवंटियों को कृषि भूमि आवंटन के पेटे बकाया किश्तों की राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में

वर्तमान में दी जा रही शत-प्रतिशत छूट की समय सीमा दिनांक 31.12.2018 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

227. राजस्थान में काश्तकारों द्वारा उठायी गई मांग को देखते हुए राज्य में कृषि भूमि पर लगने वाले सिंचाई क्षेत्र के स्थाई लगान (भू-राजस्व) को (खरीफ संवत् 2075) वित्तीय वर्ष 2018-19 से माफ किये जाने की घोषणा करती हूँ। इससे राज्य के लगभग 40 से 50 लाख कृषकों को राहत प्राप्त होगी। इसके पश्चात् राज्य का प्रत्येक किसान सभी प्रकार के स्थाई लगान से पूर्णरूप से मुक्त हो जायेगा।

228. वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में जिन व्यक्तियों ने अपनी कृषि भूमि का बिना अनुमति अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर लिया है तो इसे regularization करने के लिये देय penalty राशि **conversion fee** के चार गुणा से घटाकर डेढ़ गुणा करने की घोषणा करती हूँ। यह छूट 31 दिसम्बर, 2018 तक प्रभावी रहेगी।

पंजीयन एवं मुद्रांक :

229. आम जनता को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से stamp duty तथा registration fees में कमी किया जाना प्रस्तावित है –

- राज्य के किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए urban areas या urbanisable limits या peripheral belt of urban area के बाहर स्थित 1000 वर्गमीटर तक की कृषि भूमि का मूल्यांकन आवासीय के स्थान पर कृषि भूमि की दर से किए जाने की घोषणा करती हूँ।

- किसानों और आमजन की मांग को ध्यान में रखते हुए परिवार के सदस्यों द्वारा 10 लाख रुपये मूल्य तक की ancestral property की release deed पर राहत प्रदान करते हुए स्टाम्प ड्यूटी अधिकतम 2000 रुपये से घटाकर 500 रुपये करने की घोषणा करती हूँ।
- ancestral property की release deed पर Stamp duty में उपलब्ध रियायतों का लाभ मामा तथा भांजा/भांजी द्वारा executed release deed पर भी दिये जाने की घोषणा करती हूँ।
- गत वर्ष non-ancestral property के विभाजन पर registration fees की दर को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत तथा अधिकतम 10,000/- रुपये किया गया था। अब मैं ancestral property के विभाजन पर भी registration fees की दर को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत तथा अधिकतम 10,000/- रुपये किये जाने की घोषणा करती हूँ।
- समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवास का सपना पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत EWS तथा LIG श्रेणी के व्यक्तियों के पक्ष में आवंटित आवासीय यूनिटों के दस्तावेजों पर stamp duty की वर्तमान दर क्रमशः 2 प्रतिशत तथा 3.5 प्रतिशत को घटाकर क्रमशः 1 प्रतिशत और 2 प्रतिशत किये जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही इस योजना के तहत executed agreement to sale documents पर पंजीयन

शुल्क अधिकतम 10 हजार रुपये से घटाकर एक हजार रुपये करने की घोषणा करती हूँ।

- समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के पक्ष में स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों आदि द्वारा कच्ची बस्तियों, भूमियों का कमजोर वर्ग को आवंटन, **State Grant Act** इत्यादि के तहत निःशुल्क या token money के बदले पट्टे जारी किये जाते हैं। ऐसे मूल पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर 100 रुपये तथा revalidated पट्टों पर 125 रुपये करने की घोषणा करती हूँ।
- गत बजट में उच्च शिक्षा के लिए, **Rajasthan Startup Policy-2015** के अन्तर्गत राज्य में Startup स्थापित करने के लिए, **MUDRA योजना** के अन्तर्गत non-corporate small business sector को 10 लाख रुपये तक के loan दस्तावेजों तथा **senior citizens** द्वारा **executed reverse mortgage** के दस्तावेजों पर 31 मार्च, 2018 तक stamp duty में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की थी। इन दस्तावेजों पर **stamp duty** की छूट 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाये जाने की घोषणा करती हूँ।
- वर्ष 2015-16 के बजट में Loan Agreement, Equitable Mortgage तथा Mortgage without possession के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर 0.15 प्रतिशत की थी। Bond तथा Additional Security के दस्तावेज भी समान प्रकृति के हैं, अतः

इन दस्तावेजों पर भी स्टाम्प ड्यूटी घटाकर 0.15 प्रतिशत करने की घोषणा करती हूँ।

- राज्य में कम्पनियों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से Articles of Association of Company के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी 0.5 प्रतिशत से घटाकर 0.15 प्रतिशत, न्यूनतम 5000 रुपये तथा अधिकतम 25 लाख रुपये किये जाने की घोषणा करती हूँ।
- Digital payment को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंक तथा मर्चेण्ट के बीच POS Machine के संबंध में निष्पादित एग्रीमेण्ट पर स्टाम्प ड्यूटी माफ किये जाने की घोषणा करती हूँ।
- Securities के खरीद-बेचान के लिये Client द्वारा पंजीकृत Broker के पक्ष में निष्पादित power of attorney पर स्टाम्प ड्यूटी 200/- रुपये से घटाकर 100/- रुपये किये जाने की घोषणा करती हूँ।
- गत बजट में मेरे द्वारा 20 वर्ष तक की लीज पर पंजीयन शुल्क घटाकर स्टाम्प ड्यूटी का 20 प्रतिशत किया गया था। आम जनता को और अधिक राहत प्रदान करते हुए मैं अब 30 वर्ष तक की लीज पर पंजीयन शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी का 20 प्रतिशत लिए जाने की घोषणा करती हूँ।
- वर्तमान में दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क एक प्रतिशत और अधिकतम 4 लाख रुपये है। आम जनता को राहत प्रदान करने के



उद्देश्य से पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा को 4 लाख से घटाकर 3 लाख करने की घोषणा करती हूँ।

- Mixed Land Use के पट्टों की भूमि के मूल्यांकन में रियायत प्रदान करते हुए ऐसी भूमि का मूल्यांकन वाणिज्यिक भूमि की मूल्यांकन दर के 75 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत से किए जाने की घोषणा करती हूँ।

230. विभिन्न संगठनों की मांगों को ध्यान में रखते हुए आमजन को सस्ती दर पर आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, मैं, **Agriculture, Residential तथा Commercial भूमि की वर्तमान DLC दरों में 10 प्रतिशत कटौती की घोषणा करती हूँ।** साथ ही जिन जिलों में जिला स्तरीय समिति की बैठक वर्ष 2017-18 में दिनांक 31.03.2018 तक आयोजित नहीं होती है तो ऐसे जिलों में दिनांक 01.04.2018 को **Agriculture, Residential तथा Commercial भूमि की विद्यमान दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि नहीं की जायेगी।**

231. साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 में **Agriculture, Residential तथा Commercial भूमि की मूल्यांकन की दरों में DLC द्वारा कोई वृद्धि नहीं किये जाने की भी घोषणा करती हूँ।**

232. Real Estate Industry में व्याप्त मंदी को ध्यान में रखते हुए, मैं, 3000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के आवासीय और वाणिज्यिक भूखण्डों के मूल्यांकन पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त रियायत प्रदान करने की घोषणा करती हूँ।

233. Ease of Doing Business के तहत आम जनता को दस्तावेजों के registration तथा सम्पत्ति के mutation आदि में सहूलियत प्रदान करने के लिये निम्नलिखित घोषणाएं करती हूँ:—

- e-panjiyan व्यवस्था से जोड़े जा चुके सभी 518 उप-पंजीयक कार्यालयों में आम जनता को घर बैठे ही online दस्तावेज तैयार करने तथा पंजीयन हेतु online प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था को phased manner में लागू किया जाना प्रस्तावित है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के हस्तांतरण के दस्तावेज का पंजीयन होते ही क्रेता के पक्ष में ऐसी भूमि के mutation की प्रक्रिया को शीघ्र सम्पन्न करने के लिए राज्य की 16 तहसीलों में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के e-panjiyan software तथा राजस्व विभाग के e-dharti software का Integration किया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य की 100 तहसीलों में **e-panjiyan** तथा **e-dharti का integration** किया जाना प्रस्तावित है।
- साथ ही अब नगरीय भूमि के mutation के लिये e-panjiyan software में दस्तावेज के पंजीयन की सूचना नगरीय विकास विभाग तथा स्वायत्त शासन विभाग के Smart-raj software में प्रेषित किये जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- सितम्बर, 2015 से अगस्त, 2017 तक गत 2 वर्षों के पंजीबद्ध दस्तावेजों की scanning & indexing का कार्य इस वर्ष प्रारम्भ किया जा चुका है। अब आगामी वित्तीय वर्ष में सितम्बर, 2012 से

अगस्त, 2015 तक की अवधि के दस्तावेजों की scanning & indexing का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

- Collector (Stamps) द्वारा पारित निर्णयों को online उपलब्ध कराया जायेगा।
- राज्य में अब तक 484 उप पंजीयक कार्यालयों को ई-स्टाम्प से जोड़ा गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य में शेष बचे हुए 34 उप पंजीयक कार्यालयों को भी ई-स्टाम्प से जोड़ने की घोषणा करती हूँ।

234. आम जनता को stamp duty से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण का एक और अवसर प्रदान करते हुये मैं बकाया stamp duty का भुगतान करने पर ब्याज और शास्ति में शत प्रतिशत छूट के सम्बन्ध में चल रही **amnesty scheme** की अवधि 31 मई, 2018 तक बढ़ाने की घोषणा करती हूँ।

235. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम में कम्पनियों के Amalgamation/demerger के आदेश conveyance की परिभाषा में सम्मिलित है। Amalgamation/demerger के आदेशों के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान लागू हो जाने के फलस्वरूप राजस्थान स्टाम्प अधिनियम में conveyance की परिभाषा में तदनुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

236. Tolls के collection से संबंधित Agreement को Concession Agreement की परिभाषा में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही Concession agreement तथा Partnership deed

से संबंधित दस्तावेजों की परिभाषाओं को सरलीकृत करते हुये इन दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की दरों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित करती हूँ।

**237.** जिन जिलों में उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के कार्यालय स्थापित है, उन जिलों में पंजीयन अधिनियम के तहत जिला पंजीयक की शक्तियां उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक को देने की घोषणा करती हूँ।

**238.** राज्य सरकार के विभागों, स्थानीय निकायों, राजकीय उपक्रमों, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित अन्य संस्थाओं, banking और non-banking institutions के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत non-registrable documents पर नियमानुसार देय stamp duty की वसूली सुनिश्चित करने के लिये नियमों में आवश्यक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

#### **VAT सम्बन्धी निराकरण :**

**239.** Dealers की VAT संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिये वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा निम्न विशेष प्रयास किये जा रहे हैं:—

- वर्ष 2016–17 और 2017–18 से संबंधित Return Forms VAT–10, 11 तथा 10A को submit करने की समय सीमा दिनांक 31.03.2018 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।
- व्यवहारियों की कठिनाईयों के संदर्भ में ITC mismatch के संदर्भ में शेष रहे मामलों के जल्दी निस्तारण के लिय सत्यापन की सरल प्रक्रिया अपनाते हुए camps लगाये जाना प्रस्तावित है।

240. GST आने से पूर्व Dealers के विरुद्ध बकाया मांगों के निस्तारण के लिये वर्ष 2015 से 2017 की अवधि में समय-समय पर VAT, प्रवेश कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर तथा मोटर यानों पर प्रवेश कर से संबंधित **Amnesty Schemes** लागू की गई जिसके अन्तर्गत पिछले 3 वर्षों में लगभग 2 लाख प्रकरणों में व्यापारियों को राहत प्रदान की गयी।

241. GST लागू होने पर Repealed Acts से संबंधित बकाया मांग के प्रकरणों के निस्तारण के लिये संबंधित अधिनियमों में अपेक्षित संशोधन होने पर Amnesty Schemes लाया जाना प्रस्तावित है।

#### **GST की दरों में कमी तथा सरलीकरण :**

242. दिनांक 01.07.2017 से सम्पूर्ण भारत में GST लागू किया गया है। मुझे सदन को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि One Nation, One Tax के हम सबके सपने को साकार करते हुए GST के लागू होने से पिछले सात माह में राज्य को निम्नलिखित लाभ हुए हैं :—

- 1,81,000 से अधिक नये कर दाताओं ने GST में पंजीयन करवाया है। इस प्रकार राज्य के VAT tax base की तुलना में 35 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
- आम आदमी और किसानों के उपयोग में आने वाली लगभग 90 प्रतिशत commodities में Pre-GST के कर भार (VAT+Excise) की तुलना में GST के कर भार में कमी आयी है।

- आम आदमी पर कर भार में कमी आने के साथ-साथ GST के अन्तर्गत राज्य के राजस्व में VAT की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई है। राजस्व की सुरक्षा के लिये केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 को base year मानते हुए प्रतिवर्ष 14 प्रतिशत से राजस्व की वृद्धि का प्रावधान compensation के रूप में किया गया है। माह अक्टूबर तक की अवधि के लिये राज्य को 1911 करोड़ रुपये compensation मिला है तथा माह नवम्बर-दिसम्बर, 2017 के लिये लगभग 751 करोड़ रुपये शीघ्र ही प्राप्त होना अपेक्षित है।
- आमजन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं की GST दर को कम कराने के लिये राज्य सरकार ने GST Council में सतत् प्रयास किये। राज्य के कुछ महत्वपूर्ण व्यापार क्षेत्र जैसे कि Marble and Granite, Gems and Jewellery, Handicraft, Textiles, Hotels/ Tourism, Agriculture इत्यादि की GST दरों में राज्य के प्रयासों द्वारा निम्न प्रकार से कमी आई है:-

वस्तुएँ तथा सेवायें	GST दरों में कमी
● मार्बल और ग्रेनाईट slabs and tiles	28% से 18%
● Precious Stones (worked)	3% से 0.25%
● मूंगा (worked coral)	28% से 5%
● Synthetic Yarn	18% से 12%
● Sprinklers (including nozzles) drip irrigation system and mechanical sprayer	18% से 12 %
● Tractor Parts	28% से 18%

(68)

• Chemical Fertilizers	12% से 5%
• Hotels	5000 रुपये से 7500 रुपये प्रति दिन किराये के कमरों पर 28% के स्थान पर 18%
• Handicraft तथा Textile से सम्बन्धित Job working	18% से 5 %

- कुछ वस्तुओं जैसे कि **मेंहदी paste in cones** की GST दरें स्पष्ट नहीं थी जिसके लिये राज्य सरकार के प्रयास से GST Council द्वारा कर दर स्पष्ट करते हुए 5 प्रतिशत की कर दर में रखने हेतु अधिसूचित किया गया है।
- इसी प्रकार राज्य सरकार के **affordable housing schemes** जैसे कि **मुख्यमंत्री जन आवास योजना** में भूमि के मूल्य के संबंध में स्पष्टता नहीं थी। इस विषय में भी GST Council से स्पष्टीकरण करवाया गया तथा ऐसी Schemes में 1/3 deduction का लाभ देते हुये effective कर दर को 8 प्रतिशत माना है।
- इसी प्रकार **Kota Stone Tiles**, **मार्बल की देवी-देवताओं की मूर्तियों** इत्यादि पर GST दर कम कराने के लिये राज्य सरकार प्रयासरत है।

### **GST अधिनियम तथा प्रक्रिया में सुधार :**

**243.** छोटे व्यवसायों तथा MSME Sector की कठिनाईयों के निराकरण के लिये GST Council में कई निर्णय करवाये गये हैं जैसे कि –

- Composition के लिये threshold सीमा जो पहले 50 लाख रुपये थी इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। GST अधिनियम में संशोधन के बाद इसे बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है।
- 1.5 करोड़ रुपये से कम annual turnover वाले व्यवसायों को **Quarterly** आधार पर **GSTR-1 return** प्रस्तुत करने की सुविधा दी गयी है।
- Return Filing की due date को आगे बढ़ाने के साथ-साथ return filing में देरी होने पर लगने वाली **fees** तथा **penalty** को माफ किया गया है।

244. Dealers को GSTN online access करने, return filing, registration, GST संबंधी परामर्श इत्यादि सुविधाएँ बहुत ही **nominal charges** पर उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार ने तहसील स्तर तक 500 से अधिक **GST-mitra केन्द्र** स्थापित करके एक अभिनव प्रयास किया है। इन केन्द्रों के माध्यम से **GSTN** से संबंधित उपरोक्त सुविधाएँ 1 अप्रैल, 2018 से प्रदान की जायेगी।

**परिवहन विभाग :**

245. बजट वर्ष 2015-16 में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से IATO और RATO से मान्यता प्राप्त Tourist Operators की luxury बसों के लिये 12500 रुपये की अधिकतम सीमा तय कर देय "Monthly Special Road Tax" में 30.04.2018 तक छूट प्रदान की गई



थी। इन वाहनों पर **Monthly Special Road Tax** की यह छूट दिनांक 30 जून, 2020 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

246. वर्तमान में हवाई अड्डों के अन्दर चलने वाली Air Line कम्पनियों की बसों को Contract Carriage मानकर Monthly Special Road Tax निर्धारित किया जाता है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन बसों पर Chassis की कीमत का 10 प्रतिशत अथवा Complete Bus की कीमत का 6 प्रतिशत Lump Sum Tax का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है।

247. वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से Amnesty Scheme-2018 के अन्तर्गत निम्न राहत दिया जाना प्रस्तावित है :-

- ऐसे वाहन जो अस्तित्व में नहीं है तथा नष्ट हो चुके हैं को vehicle destruction का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर वाहन के नष्ट होने के बाद का कर तथा penalty माफ किया जाना प्रस्तावित है। वाहन मालिक को बकाया राशि दिनांक 30.09.2018 तक जमा करवानी होगी, तथा इसके पश्चात् वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- अन्य राज्यों में Registered Non-Transport Vehicles जो राजस्थान राज्य में उपयोग के लिये लाये गये है उन पर दिनांक 31.01.2018 तक के देय One Time Tax पर ब्याज व शास्ति माफ किया जाना प्रस्तावित है।

- मोटर वाहनों पर दिनांक 31.03.2016 के बकाया कर को दिनांक 30.09.2018 तक जमा कराने पर इस पर देय **penalty** को माफ किया जाना प्रस्तावित करती हूँ।

**248.** 16500 किलोग्राम से अधिक Gross Vehicle Weight तक के वाहनों पर Lump Sum Tax की वर्तमान दर Articulated vehicle पर कीमत का 20 प्रतिशत तथा Non-Articulated vehicle पर कीमत का 11 प्रतिशत वैकल्पिक रूप से प्रभावी है। इन दरों में कमी करते हुये इन यानों पर **Lump Sum Tax** की दर कीमत का 10 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

**249.** राज्य में LPG/CNG/Solar Energy से संचालित यात्री वाहनों पर देय Lump Sum Tax की राशि में **25 प्रतिशत की छूट** दिया जाना प्रस्तावित है।

#### **खान विभाग :**

**250.** प्रदेश के खातेदारों की लम्बे समय से मांग रही है कि खातेदारी भूमि में खनिज रियायतें संबंधित खातेदारों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जावें। मैं घोषणा करती हूँ कि प्रदेश में खातेदारी भूमि में 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक की minor mineral की खनिज रियायतें नीलामी से न दी जाकर प्रीमियम राशि तय कर संबंधित खातेदार को आवंटित की जायेगी।

**251.** प्रदेश में वर्ष 2012-13 में खनिज बजरी के हजारों हेक्टेयर क्षेत्रफल के एकल खनन पट्टे दिये जाने से पर्यावरण clearance समय पर प्राप्त नहीं हुई, जिसके अभाव में बजरी खनन बन्द हो गया और इस

कारण बजरी के दाम बढ़ने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदेश में आमजन को बजरी सस्ती दरों पर सुगमता से उपलब्ध हो, इस हेतु मैं घोषणा करती हूँ कि अब खनिज बजरी के छोटे साईज के खनन पट्टे दिये जायेंगे। इससे नीलामी में अधिक से अधिक बोलीदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी साथ ही पर्यावरण clearance समय पर प्राप्त होने से खनन भी सुचारु रूप से होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

252. प्रदेश में खनिजों के खनन के दौरान काफी मात्रा में मलबा/ओवरबर्डन भी निकलता है। वर्तमान में मलबा/ओवरबर्डन के उपयोग पर 10/- रुपये प्रतिटन की दर से special permit fee वसूल की जाती है। प्रदेश में **Zero waste खनन नीति** को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैं उक्त **special permit fee** को समाप्त करने की घोषणा करती हूँ।

253. मकराना के बोरावड़ क्षेत्र की कुमारी पत्थर की खानों में मार्बल के खनन के दौरान वेस्ट के रूप में मार्बल खण्डों का भी उत्पादन होता है जिनका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में मकान, खेतों की दीवार बनाने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। लम्बे समय से ग्रामीणों की मांग रही है कि इन खण्डों पर रॉयल्टी माफ की जावे। मैं, इस क्षेत्र की खानों से निकलने वाले मार्बल खण्डे जिनका उपयोग **masonry stone** के रूप किया जाता है, पर रॉयल्टी समाप्त करने की घोषणा करती हूँ।

## स्थानीय निकाय/नगरीय विकास एवं आवासन विभाग :

254. आमजन को राहत देने के उद्देश्य से नगरीय निकायों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल/जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर विकास प्राधिकरण की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराये जाने पर वर्तमान में दी जा रही ब्याज राशि में शत् प्रतिशत छूट की समय सीमा दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

255. विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दिनांक 01.01.2001 से आवंटित **EWS/LIG** आवासों की बकाया किश्तों की राशि आवंटियों द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक एक मुश्त जमा करने पर ब्याज तथा शास्ति में शत्-प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

256. आमजन को राहत देने के उद्देश्य से नगर निकायों की तरफ बकाया **Urban Development Tax** जमा कराये जाने पर देय ब्याज तथा शास्ति की राशि में शत्-प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है। इस छूट का लाभ दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक प्रभावी रहेगा।

## जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग :

257. घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से जल प्रभार शुल्क के पेटे दिनांक 30 नवम्बर, 2017 तक की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराये जाने पर वर्तमान में दी जा रही ब्याज

तथा शास्ति की छूट को दिनांक 31.12.2018 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

**जल संसाधन विभाग :**

**258.** राज्य के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 31 जनवरी, 2018 तक की बकाया सिंचाई कर की राशि 31 दिसम्बर, 2018 तक एकमुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी।

**259.** इन कर प्रस्तावों में कोई भी नया कर नहीं लगाया जा रहा है तथा इन कर प्रस्तावों से लगभग 650 करोड़ रुपये से अधिक की राहत दी गई है।

**260.** इन कर प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन प्रस्तावित हैं। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित हैं।

**261.** इन प्रस्तुत कर प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्विति के लिये तथा कुछ और अन्य प्रयोजनार्थ भी अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं।

## संशोधित अनुमान वर्ष 2017-18 एवं बजट अनुमान वर्ष 2018-19 :

**262.** मैं यह बताना चाहूंगी कि आय-व्ययक अनुमान 2017-18 में ₹ 13 हजार 528 करोड़ 3 लाख का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया था। वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में विद्युत वितरण कंपनियों को उदय योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये ऋण को 3 वर्षों अर्थात् वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक, अंश पूंजी एवं अनुदान के रूप में conversion किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में प्रतिवर्ष ₹ 15 हजार करोड़ के ऋण को ₹ 3 हजार करोड़ की अंश पूंजी एवं ₹ 12 हजार करोड़ के अनुदान में conversion किये जाने का प्रस्ताव है।

**263.** ऋण को अनुदान में conversion की राशि ₹ 12 हजार करोड़ के बिना संशोधित अनुमान वर्ष 2017-18 में राजस्व घाटा राशि ₹ 8 हजार 165 करोड़ 98 लाख संभावित है। इसका मुख्य कारण उदय योजना अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों के बकाया ऋणों का राज्य सरकार द्वारा takeover किये जाने से, राज्य सरकार पर ब्याज भुगतान अतिरिक्त भार पड़ने तथा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार, राज्य कर्मचारियों को नवीन वेतनमान दिये जाने के कारण वेतन एवं पेंशन भुगतान पर अतिरिक्त व्यय रहा है। साथ ही राज्य के स्वयं के राजस्व स्रोत यथा खनिज, पेट्रोलियम तथा राज्य उत्पाद शुल्क के राजस्व में कमी होना भी रहा है।

**264.** विद्युत वितरण कंपनियों को दिये गये ऋण को equity एवं grant में conversion को सम्मिलित करते हुए संशोधित अनुमान वर्ष 2017-18 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

1.	राजस्व प्राप्तियाँ	1 लाख 34 हजार 692 करोड़ 53 लाख रुपये
2.	राजस्व व्यय	1 लाख 54 हजार 858 करोड़ 51 लाख रुपये
3.	राजस्व घाटा	20 हजार 165 करोड़ 98 लाख रुपये
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियाँ	55 हजार 944 करोड़ 34 लाख रुपये
5.	पूंजी खाते में व्यय	35 हजार 756 करोड़ 61 लाख रुपये
6.	पूंजी खाते में आधिक्य	20 हजार 187 करोड़ 73 लाख रुपये

**265.** इसी प्रकार आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-19 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

1.	राजस्व प्राप्तियाँ	1 लाख 51 हजार 663 करोड़ 50 लाख रुपये
2.	राजस्व व्यय	1 लाख 69 हजार 118 करोड़ 35 लाख रुपये
3.	राजस्व घाटा	17 हजार 454 करोड़ 85 लाख रुपये
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियाँ	60 हजार 661 करोड़ 62 लाख रुपये
5.	पूंजी खाते में व्यय	43 हजार 156 करोड़ 31 लाख रुपये
6.	पूंजी खाते में आधिक्य	17 हजार 505 करोड़ 31 लाख रुपये

**राजकोषीय घाटा :**

**266.** वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा 28 हजार 11 करोड़ 21 लाख रुपये अनुमानित है, जो कि GSDP का 2.98 प्रतिशत है, जो कि FRBM Act की निर्धारित सीमा में है।

**267.** वर्ष 2016 में FRBM Act में सरकार द्वारा दी जाने वाली Guarantees की सीमा निर्धारित की गयी थी। वर्ष 2017-18 के संशोधित अनुमानों में Government Guarantees निर्धारित सीमा के अंतर्गत रहना अनुमानित है।

**268.** मैं, वर्ष 2018–19 का वार्षिक वित्तीय विवरण, सभा पटल पर रख रही हूँ। साथ ही, राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2005 की अपेक्षानुसार मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीतियुक्त विवरण एवं प्रकटीकरण विवरण, मैं सभा पटल पर रख रही हूँ। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं।

**269.** इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूँ।